www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 03 | गोरखपुर, 13 जुलाई 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

मोदी-योगी ने बदली पूर्वांचल की तस्वीर, स्थानीय लोगों को मिला रोजगार, महिलाओं को सम्मान

- महिलाओं को मिला सम्मान, सामाजिक समरसता को बढ़ावा
- अब अधिकांश परिवार नल के पानी का कर रहे उपयोग
- स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण
- शिक्षा में बढ़ी भागीदारी, स्कूलों में नल कनेक्शन
- स्थानीय रोजगार सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

लखनऊ। पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। जल जीवन मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन वाटरएड इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल के तीन जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में विस्तृत अध्ययन किया। तीन महीने तक समूह चर्चा, साक्षात्कार और आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक बदलाव किए हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय और जिला से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से हर जिले के पांच-पांच गांवों का सर्वे कर परिवर्तन का गहनता से अध्ययन किया गया है।

वाटरएड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल के 93 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक अब नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है। पहले जहां लोग कुएं, हैंडपंप या अन्य स्रोतों पर निर्भर थे, वहीं अब अधिकांश परिवार पीने से लेकर खाना पकाने तक के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे पुराने जल स्रोतों पर निर्भरता में भारी कमी आई है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित और संक्रामक रोगों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब लोगों को पेट संबंधी बीमारियों, त्वचा रोगों और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल रही है। इससे न केवल चिकित्सा खर्च कम हुआ है, बल्कि लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ी है। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में भी नल कनेक्शन पहुंचने से स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। इसका सीधा असर शैक्षिक उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब बच्चे अधिक नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकी का निर्माण और देखरेख जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिला है। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई है और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। खासकर तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को लाभ मिला है। पहले जहां महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था, वहीं अब नल का जल घर तक पहुंचने से उनका श्रम और समय दोनों बच रहा है। महिलाएं अब अन्य रचनात्मक कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। समाज में भेदभाव की स्थिति में भी कमी आई है, जिससे सामाजिक समरसता और पारिवारिक सौहार्द बढ़ा है। इस त्वरित अध्ययन में प्रत्येक जिले के पांच-पांच गांवों को शामिल किया गया। सर्वे में भाग लेने वाले अधिकतर ग्रामीणों ने माना कि हर घर जल योजना ने उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। स्वच्छ जल की उपलब्धता ने उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने का भरोसा दिया है।

सत्ता सुख भोगने की कुर्सी नहीं बल्कि सेवा की चौकी: राजनाथ सिंह

लखनऊ । सांसद एवं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। गत दिनों शनिवार को पहले दिन उन्होंने पदाधिकारियों के घर जाकर मुलाकात की। कालीजी मंदिर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मध्य विधानसभा क्षेत्र में मंडल कार्यकताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, वह सत्ता का सुख भोगने वाली कुर्सी नहीं, बल्कि सेवा की चौकी है।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी ताकीद की कि वह पसीना बहाकर पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, इसलिए उनका सम्मान है। कार्यकताओं के बल पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनी है। सभी जनप्रतिनिधि भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। कार्यकताओं ने लखनऊ में विकास कार्यों के लिए आभार जताया। अतुल दीक्षित ने अमीनाबाद पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग खाली कराने के बाद फिर से पोस्ट ऑफिस खोलने की मांग की। हरिलाल धानुक ने धानुक समाज के श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। रक्षामंत्री के निर्देश पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने काम कराने का आश्वासन दिया।

पदाधिकारियों से मुलाकात के क्रम में उन्होंने पूर्व एमएलसी विंध्यवासिनी कुमार के अस्वस्थ होने पर केजीएमसी पहुंचकर हाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। वह, पार्षद नागेंद्र सिंह के आवास भी गए और उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की।

चौक की बड़ी कालीजी मंदिर के नवीन भवन का राजनाथ सिंह ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा-अर्चना भी की। कहा कि मान्यता है कि यह मंदिर 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। स्वर्गीय लालजी टंडन ने एक पुस्तक में उल्लेख करते हुए लिखा है कि मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमृतलाल नागर भी आजीवन मां की सेवा में लगे रहे। मैं मानता हूं कि मुझे भी काली मां ने अपनाया है। कहा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यह घोषणा की है कि भव्य सत्संग भवन बनाया जाएगा। योग सेंटर की भी व्यवस्था होगी। एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, महंत स्वामी विवेकानंद गिरी, स्वामी आत्मानंद समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

जर्जर मकान ध्वस्त किए जाने का किराएदार नहीं कर सकता विरोध

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि किरायेदार जर्जर इमारत को गिराने का विरोध नहीं कर सकते। जीवन की सुरक्षा उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 के तहत व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने भवन गिराने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि किराएदार भवन के शीघ्र विध्वंस पर आपत्ति करने के हकदार नहीं होंगे। खासकर तब जब अधिकारियों ने उक्त परिसर का निरीक्षण किया हो और इसे ध्वस्त करना अनिवार्य माना हो। भवन के जीर्ण-शीर्ण होने और व्यक्तियों के जीवन को खतरा पैदा करने के कारण व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के लिए अधिनियम-1959 के तहत लागू योजना को व्यक्तिगत आवेदकों के किरायेदारी अधिकारों की सुरक्षा पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

हाईकोर्ट ने फै मिली कोर्ट के आदेश को किया रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद में फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश रद्द करते हुए कहा कि अकारण ससुराल और पति से अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने मेरठ निवासी विपुल अग्रवाल की निगरानी याचिका पर उसके अधिवक्ता रजत ऐरन और दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की पत्नी निशा अग्रवाल विवाह के कुछ समय बाद ही छोटे बच्चे के साथ ससुराल छोड़कर मायके जाकर रहने लगी और पति के भरसक प्रयास के बाद भी वापस आने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता के दौरान भी पत्नी द्वारा पति के साथ जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। पत्नी ने भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट मेरठ के समक्ष सीआरपीसी की धारा125 का मुकदमा किया। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में पति से अलग रहने का कोई वाजिब कारण पत्नी के पास नहीं पाया। फिर भी आठ हजार रुपये मासिक भरण पोषण सहानुभूति के आधार पर तय कर दिया गया जो सीआरपीसी की धारा 125 (4) के प्रावधान का उल्लंघन है।

भारत के लिए चीन-नामीबिया संबंध चिंता का विषय

अफ्रीकी महाद्वीप में चीन की लगातार बढ़ती पैठ और संसाधनों पर उसका वर्चस्व भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि अफ्रीका, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा, खनिज संसाधनों, ऊर्जा स्रोतों और वैश्विक व्यापार मार्गों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश कर वहां की सरकारों और बाजारों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह चीन की इस रणनीति का प्रभावी उत्तर दे और अपने पुराने अफ्रीकी साझेदारों के साथ नए संबंधों को सशक्त करे।

इस संदर्भ में मोदी की यह यात्रा चीन को एक स्पष्ट संकेत है कि अफ्रीका अब केवल उसकी आर्थिक प्रयोगशाला नहीं रह सकती। भारत 'साझेदारी के माध्यम से विकास' की नीति को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी देशों को भरोसा दिला रहा है कि वह शोषण नहीं, सहयोग का प्रस्ताव लेकर आया है। भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना और विकासोन्मुख दृष्टिकोण चीन की एकपक्षीय रणनीति से अलग है।

यदि आप नामीबिया में चीन के प्रभाव पर नजर डालेंगे तो चौंक जाएंगे। हम आपको बता दें कि खनिज संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश नामीबिया चीन की ह्यनरम साम्राज्यवादह्न नीति का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। साथ ही चीन-नामीबिया संबंधों की गहराई भारत के लिए नई भू-राजनीतिक चुनौतियाँ खड़ी कर रही है। हम आपको बता दें कि चीन ने नामीबिया में आधारभूत ढाँचे जैसे सड़क, रेलवे, सरकारी भवनों, बंदरगाहों और अस्पतालों में भारी निवेश किया है। इसके तहत ई Belt and Road Initiative (BRI) के अंतर्गत नामीबिया चीन से बड़े पैमाने पर ऋण ले चुका है। साथ ही नामीबिया की राजधानी विंडहुक में बना चीनी दूतावास अफ्रीका के सबसे बड़े दूतावासों में से एक है– जो चीन के रणनीतिक इरादों का संकेत देता है।

इसके अलावा, नामीबिया यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ खनिजों का धनी देश है। चीन ने यहां कई खनन कंपनियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए, Rossing Uranium Mine और Husab Mine में चीन की प्रमुख उपस्थिति है। साथ ही चीन ने नामीबिया की सैन्य बुनियादी संरचना को समर्थन देने के साथ-साथ राजनीतिक तंत्र पर भी प्रभाव जमाया है। नामीबिया की सेना को चीनी हथियारों और प्रशिक्षण से लैस किया जा रहा है। भारत के लिए चीन-नामीबिया संबंध क्यों चिंता का विषय हैं, यदि इस सवाल का जवाब ढूँढ़ें तो सामने आता है कि भारत को अपनी हरित ऊर्जा नीति और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की सख्त आवश्यकता है। यदि नामीबिया पर चीन का नियंत्रण और बढ़ता है, तो भारत को इन संसाधनों की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। यह भारत की ऊर्जा और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए खतरा है।

इसके अलावा, भारत लंबे समय से अफ्रीका के साथ ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध रखता आया है। चीन की आक्रामक कूटनीति और आर्थिक लालच के चलते यदि नामीबिया जैसे देशों पर उसका प्रभाव बढ़ता है, तो भारत की ह्साझेदारी आधारितह्न अफ्रीका नीति को झटका लग सकता है। साथ ही नामीबिया जैसे देश यदि चीन के प्रभाव में अधिक आते हैं, तो ब्रिक्स, जी-7 एनएएम और अन्य दक्षिणी सहयोग मंचों पर भारत की आवाज को चुनौती मिल सकती है। गौरतलब है कि चीन इन मंचों का उपयोग भारत को रणनीतिक रूप से संतुलित करने के लिए करता है। इसके अलावा, नामीबिया के वॉल्विस बे बंदरगाह पर चीनी निवेश के संकेत मिले हैं। यदि यह बंदरगाह चीन की नौसैनिक रणनीति का हिस्सा बनता है, तो यह भारत की हिंद महासागर रणनीति के लिए चिंता का विषय बन सकता है। देखा जाये तो चीन-नामीबिया संबंधों में बढ़ती गहराई भारत के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अफ्रीका में उसकी उपस्थिति को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। भारत को केवल आर्थिक सहायता या व्यापारिक प्रस्तावों तक सीमित न रहकर, अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी, सांस्कृतिक संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में भी निवेश करना होगा। यदि भारत को ग्लोबल साउथ में नेतृत्व बनाए रखना है, तो उसे अफ्रीका में चीन के हर कदम का संतुलित उत्तर देना होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों के भविष्य की नींव को और मजबूत करने वाली साबित होगी। उल्लेखनीय है कि भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं, विशेष रूप से गांधीवादी विचारधारा, स्वतंत्रता संघर्ष और शांति-संवाद पर आधारित साझा विरासत। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चीता परियोजना से दोनों देशों के बीच नई कूटनीति शुरू हुई थी। 2022 में भारत ने नामीबिया से अफ्रीकी चीता लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया था। यह केवल वन्यजीव संरक्षण की पहल नहीं, बल्कि ईको डिप्लोमेसीह्न का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। मोदी की इस यात्रा ने उस रिश्ते को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर और आगे बढ़ाया है। नामीबिया यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट और तांबा जैसे दुर्लभ खनिजों से समृद्ध है इसलिए भारत की हरित ऊर्जा रणनीति और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी अत्यंत लाभकारी है।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा में इन खनिजों की आपूर्ति, प्रसंस्करण और तकनीकी आदान-प्रदान के समझौते हुए।

स्मणीय है कि भारत ने नामीबिया को फार्मा, वैक्सीन उत्पादन, आयुष , टेलीमेडिसिन और उच्च शिक्षा में सहायता देने का वादा किया। विशेष रूप से ITEC (Indian Technical and Economic Co-operation) कार्यक्रम के तहत नामीबियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण अवसर बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना और नामीबियाई समुद्री सुरक्षा बलों के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई। समुद्री सुरक्षा, पायरेसी रोधी रणनीतियों और रक्षा उपकरण आपूर्ति के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने की सहमति बनी है।

भारत और नामीबिया के संबंधों में सुधार से होने वाले संभावित लाभों पर गौर करें तो आपको बता दें कि नामीबिया से लिथियम और यूरेनियम जैसी धातुओं की आपूर्ति भारत के ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की चीन पर निर्भरता को कम करेगा। साथ ही नामीबिया के साथ सहयोग, भारत को दक्षिणी अफ्रीका में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा। इससे भारत की अफ्रीका नीति को धार मिलेगी। इसके अलावा, भारत की आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं से नामीबिया को दीर्घकालिक सामाजिक लाभ मिलेगा। भारतीय दवा उद्योग वहाँ की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बना सकता है। साथ ही दोनों देश ऋ7, ठअट और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के पक्ष में समन्वय से काम कर सकते हैं। इससे ऋ्रङ्ख रङ्क४ँ की आवाज और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मूर्त रूप देने का प्रतीक भी है।

संप्रभुता की रक्षा का संघर्ष अब तकनीकी स्तर पर लड़ा जाएगा:धनखड़

कोटा । अब देश किसी सैन्य आक्रमण से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भरता से कमजोर और पराधीन होगे और संप्रभुता की रक्षा का संघर्ष अब तकनीकी स्तर पर लड़ा जाएगा। धनखड़ शनिवार को यहां भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के लिए भारतीय सिस्टम बनाकर उन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने की जरूरत बताते हुए कहा है कि उन्होंने तकनीकी नेतृत्व को नई राष्ट्रभक्ति का आधार बताते हुए कहा ह्रहम एक नए युग में प्रवेश कर रहे है, एक नए राष्ट्रवाद के युग में तकनीकी नेतृत्व अब देशभक्ति की नई सीमा रेखा है। हमे तकनीकी नेतृत्व में वैश्विक अगुवा बनना होगा। उन्होंने रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात-निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा ह्रयदि हम रक्षा के क्षेत्र में बाहर से तकनीकी उपकरण प्राप्त करते है, तो वह देश हमे ठहराव की स्थिति में ला सकता है।ह्र डिजिटल युग में बदलती वैश्विक शक्ति संरचनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होने कहा 21वीं सदी का युद्धक्षेत्र अब भूमि या समुद्र नहीं है। पारंपरिक युद्ध अब अतीत की बात हो गई है। आज हमारी शक्ति और प्रभाव कोड, क्लाउड और साइबर से तय होते 31 डिजिटल क्षेत्र की चर्चा करते हुए धनखड़ ने कहा एक स्मार्ट ऐप जो ग्रामीण भारत में काम नहीं करता, वह पर्याप्त स्मार्ट नहीं है। एक एआई मॉडल जो क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं समझता, वह अधूरा है। एक डिजिटल उपकरण जो दिव्यांगों को शामिल नहीं करता, वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से स्थानीय समाधान को वैश्विक स्तर तक ले जाने का आह्वान करते हुए कहा ह्रभारत के युवाओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया के सजग संरक्षक बनना चाहिए। हमे भारत के लिए भारतीय प्रणालियां बनानी होगी और उन्हें वैश्विक बनाना होगा।

- नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में दीक्षांत समारोह

हमारा देश और हमारी न्यायिक अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहा है: गंवई

हैदराबाद । गत शनिवार को नालसार विधि विश्वविद्यालय, का 22वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीजेआई बीआर गवई ने छात्रों, अतिथियों और विश्वविद्यालय को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई हमन विषयों पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत 22वें दीक्षांत समारोह में खुद को आमंत्रित करने के लिए आभार के साथ किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मुझे यथार्थवाद और व्यावहारिकता के साथ कुछ विचार साझा करने दें। कानूनी पेशा आसान नहीं है। इस पेशे का कोई सीधा रास्ता नहीं है। इसमें कोई गारंटीकृत रिटर्न नहीं है। यह पेशा आपसे लगातार खुद को साबित करने की मांग करता है। छात्रों से उन्होंने कहा कि आपको लगातार मापा जाएगा, न केवल न्यायाधीशों और मुवक्किलों द्वारा, बल्कि अक्सर आपकी अपनी अंतरआत्मा भी आप पर सवाल उठाएंगी। इसके बाद भी आप बढ़ते रहेंगे क्योंकि, कानून आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास मांगता है।

साल 2024 में आई थॉमस ग्रांट की किताब 'द मंडेला ब्रीफ' जिक्र करते हुए न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि यह पुस्तक सिडनी केंट्रिज द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़े गए मामलों से संबंधित है(इससे साफ होगा कि एक बैरिस्टर के रूप में जीवन कठिन होता है इसके लिए निरंतर आवेदन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तनाव, चिंता, यहां तक कि भय के क्षण भी आते हैं। इसमें शाम और सप्ताहांत का त्याग शामिल होता है। उन्होंने कहा एक अधिवक्ता होने के लिए न केवल सहनशक्ति बल्कि फुर्ती की भी आवश्यकता होती है। मामले में हर प्रासंगिक तथ्य आपके दिमाग में सबसे आगे होना चाहिए। हर दस्तावेज आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कई बार लोग अपने संघर्ष को किसी के सामने नहीं लाते हैं। उसे छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि, आपको अपने पेशे में अपने मानसिक सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि याद रखें: कानून जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मूल बातों को अच्छी तरह से जानने का कोई विकल्प नहीं है। संविधान, अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, आपराधिक कानून और अन्य मुख्य विषय वैकल्पिक विषय नहीं हैं। वे आपकी दैनिक रोटी हैं। वे ही आपको स्पष्टता से बहस करने, आत्मविश्वास से सलाह देने, दृढ़ विश्वास के साथ पढ़ाने और ईमानदारी से सेवा करने की अनुमति देते हैं। कानून तेजी से बदल रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा गोपनीयता जैसे नए उभरते क्षेत्र शामिल हैं। बेशक, इन नवीनतम विकासों से अवगत रहें लेकिन अपनी नींव मजबूत रखें। क्योंकि कानूनी पेशे में, सबसे मजबूत दिमाग वे नहीं होते जो हर प्रवृत्ति का पीछा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कानून स्कूल के वर्षों बाद भी एक मूलभूत अवधारणा को स्पष्टता, सटीकता और अंतर्दृष्टि के साथ समझा सकते हैं।

एक बात और जो ध्यान में रखनी है वह है मेंटरशिप दूसरों के अनुभव से सीखना, जो आपसे पहले इस पेशे में है। कानून के पेशे में मेंटरशिप एक गेम-चेंजर हो सकती है। सब कुछ किताबों या निर्णयों में नहीं मिल सकता। कुछ सबक बातचीत में, प्रोत्साहन में, पहले मसौदे में मिल जाते हैं मैं ईमानदारी से कहता हूं: मैं आज यहां सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की है। मैं यहां इस लिए भी हूं क्योंकि किसी ने मेरे लिए एक दरवाजा खोला। किसी ने मुझमें कुछ ऐसा देखा जो मैं खुद में नहीं देख पाया था। विश्वास, समर्थन और ज्ञान साझा करने के उस कार्य ने मेरा जीवन बदल दिया इसलिए, मैं इस कमरे में मौजूद सभी वरिष्ठों- वकीलों, न्यायाधीशों, प्रोफेसरों, पेशेवरों से अपील करता हूं कि वह मेंटरशिप दें. क्योंकि, मेंटरशिप कोई एहसान नहीं है यह एक जिम्मेदारी है।

डिजिटल इंक्लूजनः ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड
विषय पर वक्ताओं ने प्रस्तुत किए अपने विचार

मेरठ। इस्माईल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में ऑनलाइन एजुकेशन एंड एलएमएल सेल द्वारा एनसीआरटीसी एवं जेएफपीआर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय डिजिटल इंक्लूजनः ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड रहा। कार्यशाला के प्रथम सत्र में एनसीआरटीसी वक्ता नरेंद्र ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि डिजिटल समावेशन या डिजिटल विभाजन को पाटना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर महिलाओं के लिए। डिजिटल विभाजन महिलाओं और पुरुषों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुंच, उपयोग और कौशल में अंतर को संदर्भित करता है। साथ ही उन्होंने डिजिटल विभाजन के बारे में सभी को जानकारी दी। इंटरएक्टिव सेशन में हिंदी विभाग प्रभारी प्रो. दीपा त्यागी, कंप्यूटर लैब प्रभारी डॉ. स्वर्ण ने डिजिटल विभाजन के कारण और डिजिटल समावेश के लाभ व उपाय बताए। प्राचार्य प्रो. अनिता राठी ने बताया कि डिजिटल विभाजन को पाटना एक बहुआयामी चुनौती है। यह एक ऐसा लक्ष्य है, जिसके लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल समावेशन के माध्यम से महिलाएं सशक्त बन सकती हैं। प्राचार्य प्रो. अनिता राठी ने लाइफ स्किल कार्यशाला के सर्टिफिकेट वितरित किए। संयोजन व संचालन डॉ. स्वर्ण द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिमा ठाकुर, ईरम, निशा गुप्ता व डॉ. मनी भारद्वाज सहित 80 छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

▶ बीएनएस की नई धारा 113 के शासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश

लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में न हो कानून का दुरुपयोग

▶ असहमति, आलोचना या विचारों का मतभेद जो लोकतंत्र की आत्मा हैं
▶ धारा 113 के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले जिले के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का सभी साक्ष्यों का गहन परीक्षण करना अनिवार्य होगा।

लखनऊ । आलोचना करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना या सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना आतंकवाद नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की नई धारा 113 को लेकर शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून का दुरुपयोग न हो। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इस धारा को लेकर संशय था- कहीं यह व्यापक अधिकारों के दमन का उपकरण न बन जाए। लेकिन अब शासन के ताजा आदेश से तस्वीर साफ हो गई है कि धारा 113 सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जिनकी गतिविधियां वाकई देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के विरुद्ध होंगी। बीएनएस की धारा 113 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। इसमें ऐसे कार्यों को शामिल किया गया है जो देश में भय, अराजकता, अव्यवस्था फैलाते हैं या सरकार को नीतिगत निर्णयों से रोकने के लिए हिंसा या धमकी का सहारा लेते हैं। इन कृत्यों के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद तक की सजा का प्रविधान है। लेकिन असहमति, आलोचना या विचारों का मतभेद जो लोकतंत्र की आत्मा हैं, उन्हें आतंकवाद की श्रेणी में डालने की आशंका को लेकर अब गृह विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अब धारा 113 के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले जिले के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का सभी साक्ष्यों का गहन परीक्षण करना अनिवार्य होगा। वे तब ही अनुमति देंगे जब स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो कि आरोपित की गतिविधियां वास्तव में आतंकवादी प्रकृति की हैं। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक मतभेद, सामाजिक आंदोलन, या धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना आतंकवाद नहीं है। न ही वैचारिक असहमति को किसी राष्ट्रविरोधी मानसिकता का प्रमाण माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इस धारा के कठोर दंड प्रविधान (मृत्युदंड या आजीवन कारावास) के चलते यह जरूरी है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी या राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर केस न दर्ज किया जाए। हर केस में साक्ष्यों का गहन मूल्यांकन होगा। संदेह या अनुमान के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, ईसाई घट रहे, हिंदू आबादी स्थिर

अक्सर कहा जाता है कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या में तेज वृद्धि हो रही है लेकिन अब जो आंकड़े सामने आये हैं वह दर्शा रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी में सबसे तेज वृद्धि हो रही है। आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि अगर यही रुझान जारी रहे तो 2050 तक मुस्लिम और ईसाई आबादी लगभग बराबर हो सकती है और 2070 के बाद मुस्लिम जनसंख्या ईसाइयों से आगे निकल सकती है। यह परिवर्तन न केवल सांख्यिकीय रूप से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट "How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020" ने वैश्विक धार्मिक जनसांख्यिकी में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की तस्वीर सामने रखी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समुदाय मुस्लिम समुदाय है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की संख्या में हुई वृद्धि ने अन्य सभी धर्मों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2020 के बीच मुस्लिमों की संख्या 347 मिलियन (34.7 करोड़) बढ़ी, जोकि अन्य सभी धर्मों की सम्मिलित वृद्धि से भी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 23.9% से बढ़कर 25.6% हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से युवा आबादी और उच्च प्रजनन दर के कारण हुई। रिपोर्ट कहती है कि 2010 में ईसाई वैश्विक आबादी का 30.6% थे, जो 2020 में घटकर 28.8% रह गए। इस गिरावट का मुख्य कारण था धार्मिक त्याग, जिसमें खासतौर पर लोग पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं।

वहीं रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक हिंदू आबादी लगभग 1.2 अरब हो गई है (2010 में 1.1 अरब थी), यानी 12% की वृद्धि हुई है। हालांकि हिंदुओं का वैश्विक प्रतिशत 15% से मामूली घटकर 14.9% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुओं की प्रजनन दर वैश्विक औसत के अनुरूप है और धर्मांतरण की दर भी बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक दुनिया के 95% हिंदू भारत में रहते हैं। इसके अलावा, 'नो-रिलिजन' वर्ग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धार्मिक रूप से असंलग्न लोगों की संख्या 270 मिलियन बढ़कर 1.9 अरब हो गई है और इनका वैश्विक हिस्सा 23.3% से बढ़कर 24.2% हो गया है। वहीं प्रमुख धर्मों में केवल बौद्ध धर्म की आबादी 2010 की तुलना में 2020 में कम रही। 2010 में बौद्ध वैश्विक जनसंख्या का 4.9% थे, पर 2020 में यह घट गया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हिंदुओं की आबादी 2010 के 80% से घटकर 2020 में 79% हो गई है। वहीं भारत में मुस्लिम आबादी 2010 के 14.3% से बढ़कर 2020 में 15.2% हो गई है। यह वृद्धि भी मुख्य रूप से प्रजनन दर और युवा जनसंख्या के कारण है, न कि धर्मांतरण से। हालांकि भारत में मुस्लिमों की यह वृद्धि अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश की तुलना में धीमी है, पर फिर भी यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय परिवर्तन है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 में दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी में से 35% मुसलमान 15 वर्ष से कम आयु के थे। उल्लेखनीय है कि इतनी युवा जनसंख्या होने के कारण जन्म दर अधिक बनी रहती है, जिससे आबादी तेजी से बढ़ती है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में अधिक है। इससे मुस्लिम जनसंख्या की प्राकृतिक विकास दर भी अधिक होती है। साथ ही, रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिमों में धर्म छोड़ने वालों की संख्या और अन्य धर्मों से इस्लाम अपनाने वालों की संख्या लगभग बराबर है। यानी धार्मिक स्विचिंग का असर नगण्य है, जिससे शुद्ध जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म के कारण होती है। इसके अलावा, रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1% वयस्क ही अपने जन्मजात धर्म से अलग होकर अन्य धर्म अपनाते हैं, विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान, इन दोनों समुदायों में धर्म-परिवर्तन की दर अत्यंत कम है।बहरहाल, पी ई डब्लू की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आने वाले दशकों में विश्व की धार्मिक जनसंख्या संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, ईसाई समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ेंगी, खासकर यूरोप और अमेरिका में। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू समुदाय वैश्विक रूप से स्थिर रहेगा, परंतु भारत के भीतर उसके अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह रिपोर्ट न केवल जनसांख्यिकी विश्लेषण, बल्कि नीति-निर्धारण, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आधा पेट रोटी विषयक नुक्कड़ नाटक का आयोजन

मेरठ। कोशिश सामाजिक संगठन के बैनर तले रंगकर्मियों ने बच्चा पार्क पर नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी से होने वाली समस्या के प्रति लोगों को जागरूक किया। आधा पेट रोटी विषय पर नुक्कड़ नाटक में रंगकर्मियों ने जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और प्रतिभा पलायन के चार गुना बढ़ने पर होने वाली परेशानी को दर्शाया गया। नाटक के मुखिया अजय सेठी ने लोगों से कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है। जनसंख्या नियत्रण कानून नहीं लाया गया तो भारत की आबादी 2050 में 200 करोड़ हो जाएगी। इसी वजह से परिवार नियोजन और परिवार कल्याण का कोई फायदा नहीं हो रहा। अजय सेठी, मनमोहन भल्ला, करन कामरा ने नाटक प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने हम दो हमारे दो का नियम सख्ती से लागू करने को आग्रह किया।

▶ 'भारत में पशु नस्लों का विकास' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

भारत एक कृषि प्रधान देश किसानों की समृद्धि के बिना खुशहाली नहीं : योगी

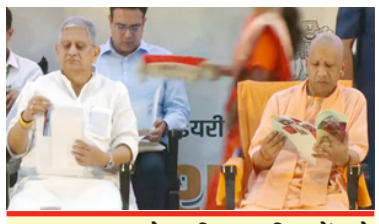

▶ 10 हजार से अधिक परिवारों को एक-एक गाय दे रखी है
▶ बहुत सारी स्थानीय नस्लें लुप्तप्राय की ओर हैं
▶ अतिथियों ने किया पुस्तिका का विमोचन

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गत दिनों शनिवार को 'भारत में पशु नस्लों का विकास' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के हाल में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही गोरखपुर के कृत्रिम गभार्धान प्रशिक्षण संस्थान तथा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत यूपी में तीन प्रोजेक्ट (अमेठी, बरेली व मथुरा) का बटन दबाकर उद्घाटन किया। अतिथियों ने पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में योगी सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बंघेल, केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन मौजूद रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसान की समृद्धि के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। भारत में कृषि व पशुधन एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। अन्नदाता किसान के घर में पशुधन होगा और पशुपालक भी खेतीबाड़ी से अवश्य जुड़ा होगा। इनके आपसी संबंध को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष में किसानों की खुशहाली व समृद्धि के लिए बढ़ाए गए कदम अत्यंत महत्वपूर्ण व सराहनीय हैं। डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ यूपी ने लिया है। यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर एक पर है।

सीएम योगी ने एफएमडी बीमारी (खुरपका-मुंहपका) की चुनौतियों का जिक्र किया। कहा कि एफएमडी के वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुए, फिर बीच में उसे रोका गया। पशुधन का असर वहां के क्लाइमेटिक जोन, उसके पालन, रखरखाव, नस्ल पर भी प्रभाव पड़ता है। यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग गोवंश दिखेंगे। स्थानीय स्तर पर देसी पद्धतियों से जिन्होंने नस्ल को सुधारने के लिए प्रयास किए, उन्होंने अच्छी नस्ल को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। जो लोग प्रयास नहीं कर पाए, वहां पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था। आज के समय में बहुत सारी स्थानीय नस्लें लुप्तप्राय की ओर हैं। उन पर ध्यान देंगे तो पशुपालकों को स्थायी समृद्ध निधि दे सकते हैं।

सीएम ने आगे कहा कि झांसी के बलिनी, गोरखपुर, आगरा, काशी समेत यूपी में पांच मिल्क प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, जो समितियों के माध्यम से दुग्ध कलेक्शन, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। पशुपालन की अच्छी नस्ल की भी चिंता करती हैं।

तीन स्कीम का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि सरकार 12 लाख गोवंशों की देखभाल अपने निराश्रित गोआश्रय स्थल के माध्यम से करती है। दूसरी स्कीम-सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की गई है। हम किसी भी पशुपालक को चार गोवंश तक देते हैं। उसकी देखभाल के लिए हर महीने 1500 रुपये प्रति गोवंश देते हैं। इसमें लगभग दो लाख से अधिक पशुधन 1.25 लाख किसानों के पास है। तीसरी स्कीम-कुपोषित परिवारों को निराश्रित गोआश्रय स्थल से बियाई हुई गाय देते हैं। 10 हजार से अधिक परिवारों को एक-एक गाय दे रखी है। 1500 रुपए हर महीने रुपये गाय की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। इससे गोवंश के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

▶ शिक्षा मंत्रालय का सर्वे रिपोर्ट

कक्षा छह में केवल 53 फीसदी विद्यार्थी जानते हैं 10 तक का पहाड़ा

नयी दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के सर्वेक्षण से पता चला है कि कक्षा तीन के केवल 55 प्रतिशत छात्र 99 तक की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि कक्षा छह के केवल 53 प्रतिशत छात्र 10 तक का पहाड़ा जानते हैं। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (परख) राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के रूप में जाना जाता था, पिछले साल चार दिसंबर को आयोजित किया गया था।

इस सर्वेक्षण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 स्कूलों में कक्षा तीन, छह और नौ के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के 21,15,022 छात्रों को शामिल किया गया था। सवेक्षण में कहा गया कि तीनों कक्षाओं के 1,15,022 बच्चों का मूल्यांकन किया गया और 2,70,424 शिक्षकों और स्कूल का नेतृत्व करने वालों ने प्रश्नावली के माध्यम से जवाब दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा तीन के केवल 55 प्रतिशत विद्यार्थी ही 99 तक की संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि 58 प्रतिशत विद्यार्थी दो अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। कक्षा छह में केवल 53 प्रतिशत छात्र अंकगणितीय संक्रियाओं और उनके बीच संबंधों को समझ और देख सकते हैं, कम से कम 10 तक जोड़ और गुणन की सारणी जानते हैं और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए पूर्ण संख्याओं पर चार बुनियादी संक्रियाएं लागू करते हैं।

कक्षा छह में भाषा और गणित के साथ-साथ एक अतिरिक्त विषय 'हमारे आस-पास की दुनिया' शुरू किया गया था, जिसमें पर्यावरण और समाज शामिल है। छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर गणित में सबसे कम अंक (46 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि भाषा में औसतन 57 प्रतिशत और हमारे आस-पास की दुनिया में 49 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उदाहरण जहां 50 प्रतिशत से कम छात्र सही उत्तर देने में सक्षम थे, सीखने की प्रक्रिया में बाधा को दर्शाते हैं।

कक्षा नौ में केंद्र सरकार के स्कूलों के छात्रों ने सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, भाषा में स्पष्ट बढ़त हासिल की। निजी स्कूलों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गणित में कम अंक प्राप्त किए। राज्य सरकार और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में भी इसी तरह के परिणाम दर्ज किये गए। ग्रामीण-शहरी विभाजन भी काफी हद तक देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा तीन के छात्रों ने गणित और भाषा दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में कक्षा छह और नौ के बच्चों ने सभी विषयों में अपने ग्रामीण समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया।

स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने रिपोर्ट में कहा, मूल्यांकन से आगे बढ़कर, इस पहल का अगला चरण व्यवस्थित कार्रवाई को सक्षम करने पर केंद्रित है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 के निष्कर्षों को सार्थक कार्य में बदलने के लिए एक व्यापक बहु-स्तरीय रणनीति की योजना बनाई गई है।

गुरु पूर्णिमा पर सेवा कार्य संपन्न

फतेहाबाद । गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर पर बृजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी व सहयोगी संस्था वीर एकलव्य सेवा संस्था द्वारा प्राथमिक विद्यालय ग्राम बिलईया, फतेहाबाद के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई । इस अवसर पर एक सामान्य ज्ञान की लघु प्रतियोगिता भी आयोजित की गई । यह प्रतियोगिता दो भागों में आयोजित की गई । भाग - एक (कक्षा 1 व 2), भाग -दो (कक्षा 3, 4 व 5) । दोनों भागों के विजेताओं प्रथम, द्वितीय व तृतीय को नकद धनराशि व पाठ्य सामग्री भेंट की, बाकी सभी छात्रों को पाठ्य सामग्री भेंट की गई । विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर मौजूद रहे- पीतम सिंह, विकास वर्मा, भूरीसिंह, मुकेश कुमार ऋषि वर्मा, अवधेश कुमार निषाद एडवोकेट, रामकुमार, प्रीतम सिंह आदि । इसके साथ ही शिक्षाविदों को गुरु रत्न सम्मान भी प्रदान किया गया । कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा ।

योगी ने किया रुद्राभिषेक, कीं नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना

गोरखपुर। सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातः काल रुद्राभिषेक व हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। बताते चलें कि गत शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को विल्व पत्र, दुर्वा, मदार

पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्वत आचार्यगण एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की।

योगी का जनता दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान उन्होंने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और कहा कि परेशान मत हों, आपकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए।

श्रीरामेश्वरम धाम से पुण्य लाभ लेकर श्रद्धालु सकुशल लौटे
श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव और तीर्थ यात्रा का भव्य समापन

हरदा, खेडीपुरा। खेड़ापति भागवत समिति, खेड़ीपुरा के श्रद्धालुजन श्रीरामेश्वरम धाम से पुण्य लाभ लेकर सकुशल नगर लौट आए। समिति के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव एवं तीर्थ यात्रा का समापन 7 जुलाई को पूणार्हुति और महाप्रसादी के साथ हुआ था। इसके पश्चात श्रद्धालु अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर आज हरदा पहुंचे। 150 श्रद्धालुओं के इस पुण्य यात्रा दल ने श्रीरामनाथस्वामी मंदिर, धनुषकोडी, कोदंड रामस्वामी मंदिर, सीता कुंड तिरूपती, कन्याकुमारीजैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की। समिति के सक्रिय सदस्य राजू हरने ने जानकारी दी कि रामेश्वरम में हरदा के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पं. विद्याधर उपाध्याय महाराज (नयापुरा) ने अपनी दिव्य वाणी से प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का अमृतपान कराया। आज जैसे ही श्रद्धालु खेड़ापति मंदिर, खेड़ीपुरा पहुंचे, मोहल्ले वासियों ने उनका फूल-मालाओं और जयघोष के साथ आत्मीय स्वागत किया। मंदिर प्रांगण में एक संक्षिप्त स्वागत-सत्कार समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें समिति पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने अपनी श्रद्धा और हर्ष व्यक्त किया। खेड़ापति भागवत समिति की तीर्थ यात्राओं की श्रृंखला का तीसरा प्रमुख आयोजन रहा, जो इस बार और भी विस्तृत, भव्य और दिव्य रूप में संपन्न हुआ। उन्होंने आगामी समय में और भी ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही।

घूँघट की बगावत

13 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भाषायी विवादों के पीछे विभाजनकारी षड्यंत्र

संत ज्ञानेश्वर और हिंदवी स्वराज्य प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यभूमि में राजनीतिक वितंडावादियों ने 'भाषा' के नाम पर जिस अराजकता का परिचय दिया। हिंसा का मार्ग अपनाते हुए विभाजनकारी सोच का उत्पात मचाया। वह हर किसी को अंदर से झकझोर देने वाला षड्यंत्र ही समझ आ रहा है। वस्तुतः ऐसा करने वालों के मूल में 'मराठी अस्मिता' का भाव नहीं है। बल्कि वे भारत की विराट पहचान को मिटाने की कुत्सित सोच से ग्रसित हैं। आप सोचिए कि जिस महान महाराष्ट्र की भूमि में- संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम महाराज, संत बहिणाबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा और समर्थ रामदास, संत गाडगे जैसी महान विभूतियों ने राष्ट्रीय एकता और एकात्मता को स्थापित किया हो। मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों का मार्ग दिखाया हो। उस भूमि से अगर अलगाव के उत्पाती कृत्य आ रहे हों तो यह निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र ही सिद्ध होता है।

जो 'मराठी अस्मिता' के नाम पर समाज में विभाजन फैला रहे हैं। विराट हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र के आदर्शों की कही या लिखी गई – ऐसी एक पंक्ति लाकर समाज के मध्य दिखला दें। जो किसी भी प्रकार के विभाजन की बात करती हो। ऐसे में क्या यह अक्षम्य अपराध नहीं है? क्या महाराष्ट्र की महान परंपरा को आघात पहुंचाने वालों को समाज स्वीकार करेगा?

ईश्वरीय निमित्त वश मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य स्थापना के 350 वें वर्ष पर एक ग्रंथ के संपादन का सौभाग्य मिला। उस समय मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कई ग्रंथों का अध्ययन किया। विभिन्न विद्वानों के विचारों को पढ़ा और सुना। लेकिन एक भी अंश ऐसा नहीं पाया जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थानीयता, प्रांतीयता की परिधि में स्वयं को समेटा हो। उनके कार्यों और विचारों की दृष्टि सर्वदा अखिल भारतीय-अखंड भारत वर्ष पर ही केंद्रित रही। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य की स्थापना की तो उसका नाम उन्होंने 'महाराष्ट्र' या मराठी राज्य नहीं किया। अपितु उन्होंने उसका नामकरण 'हिंदवी स्वराज्य' किया। उन्होंने स्वराज्य के संचालन के लिए जब 'राज व्यवहार कोश' का निर्माण कराया।उस समय उन्होंने अरबी फारसी के स्थान पर संस्कृतनिष्ठ और मराठी के शब्दों का शब्दकोष बनवाया। इसी प्रकार शिवाजी महाराज की राजमुद्रा में 'संस्कृत' का प्रयोग किया गया। उनकी राजमुद्रा में लिखा रहता था–

प्रतिपच्चन्द्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता ।
शाहसूनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ।।

अभिप्रायतः छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस महान हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राष्ट्रीय एकता और एकात्मता को स्थापित किया। अब उस पर 'मराठी अस्मिता' के नाम पर आघात किया जा रहा है। विराट हिंदू पहचान को संकुचित और संकीर्ण दायरों में समेटने का अक्षम्य अपराध किया जा रहा है। ऐसा करने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें 'मराठी मानुष' ने चुनावों में सिरे से खारिज कर दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अपनी महान विरासत के साथ राष्ट्रीय विचारों के साथ एकात्म है।उसे किसी भी हाल में विभाजन स्वीकार नहीं है। ऐसे में विभाजनकारी मानसिकता से ग्रस्त लोग और राजनेता; समाज की एकता को खंडित करने में जुट गए हैं। चाहे हिंदी हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो या बंगाली हो। संस्कृत हो मलयालम हो, कोंकणी, संथाली या उड़िया हो चाहे पंजाबी हो। याकि कश्मीरी, असमिया, बोडो या डोगरी हो। संथाली, सिंधी, नेपाली हो। सभी भारतीय भाषाएं हमारी हैं। भारत की कोख से जन्मी हर भाषा, बोली और परंपराएं हमारी अमूल्य विरासत हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या राज्य विशेष की संपत्ति नहीं हैं बल्कि हर भारतीय का जीवन मूल्य और संस्कार हैं। इनमें राष्ट्र की महान परंपरा और संस्कृति का अविरल और अक्षुण्ण प्रवाह अंतर्निहित है। जो एक ही धुन सुनाता है जय-जय जय भारत।

ऐसे में भला कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि– ये मेरी भाषा है-ये तुम्हारी भाषा है? क्या हमारे महापुरुषों और भाषाओं ने किसी भी व्यक्ति, दल या समूह को ऐसे कोई अधिकार दिए हैं? क्या समाज ने कभी भी ऐसे विभाजन को स्वीकार किया है? क्या हमारे संविधान ने ऐसे किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रावधान किया है? इन सबका उत्तर है– नहीं। भारत के कोने-कोने में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी हर भाषा, बोली, परंपराओं के प्रति गहरा आदर और श्रद्धा रखता है। उसे अपनी सभी भाषाओं और सभी परंपराओं से प्रेम है। उसके लिए कुछ भी अपना या पराया नहीं है। हमारे सभी श्रद्धा के केंद्र, आदर्श, महापुरुष और भाषाएं हमें एकता के सूत्रों से गुंफित किए हुए हैं। हम सबका मस्तक अपनी महान परंपरा के हर मानबिंदु के समक्ष श्रद्धा से नत होता है। यही तो भारतीय मूल्य और संस्कार हैं। हो सकता है सभी को हर भाषा नहीं आती हो। किसी को सभी भारतीय भाषाएं आती हों। किसी को दो-चार या उससे अधिक भाषाएं आती हों लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि – इस आधार पर कोई अपनी श्रेष्ठता का दावा करेगा? किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव करेगा। यह तो असह्य है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

दूजे जहां तक बात रही 'हिंदी' के विरोध की – तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत विभाजनकारी शक्तियां 'हिंदी और हिंदू' के विरोध से अपना षड्यंत्र शुरू करते हैं और फिर हिंदुस्तान के विरोध में उतर जाते हैं। भारत विभाजनकारी शक्तियों का एक और अंतिम लक्ष्य है भारत राष्ट्र का खंडन करना। इसके लिए वो कभी समाज को भाषा के आधार पर लड़ाएंगे। कभी जाति और महापुरुष के नाम पर लड़ाएंगे। कभी क्षेत्रवाद, बोली, पहनावों और परंपराओं के नाम पर समाज के मध्य विभाजन की दीवार खड़ी करेंगे। क्योंकि उन्हें ये पता है कि विराट हिंदू समाज को छोटे-छोटे विभाजनों में फंसाकर आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन अगर एक और अंतिम पहचान 'हिंदू' है तो वे मुंह की खाएंगे वे कभी भी हिंदू समाज को कमजोर नहीं कर पाएंगे। बस इसी के निमित्त वो कोई न कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा उठाएंगे जो हिंदू समाज को आपस में ही लड़ा देने वाला हो। वो भावनाओं को उद्वेलित करेंगे। मुद्दा बनाएंगे और समाज में विभाजन के विष फैलाने में जुट जाएंगे। अक्सर जो राजनीतिक दल, नेता या समूह हिंदी या संस्कृत का विरोध करते दिखते हैं। वो क्या कभी विदेशी विशेषकर 'अंग्रेजी' भाषा का विरोध करते नजर आए हैं? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि– वे अंग्रेजी के बायकॉट का अभियान चलाते दिखे हों। आप एक भी उदाहरण नहीं देखेंगे। क्योंकि भाषायी आधार पर समाज में अलगाववाद फैलाने वालों का एजेंडा भारतीय भाषाओं-स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना नहीं है। बल्कि हिंदी विरोध के नाम पर समाज में विभाजन उत्पन्न करना और ध्रुवीकरण करना है। ताकि उनकी राजनीतिक सत्ता बनी रहे और संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट न हो पाए। इतना ही नहीं भाषायी या क्षेत्रीय आधार पर अलगाववाद फैलाने वालों के पीछे कई सारी भारत विरोधी शक्तियां काम करती हैं। जो कभी राजनेताओं के माध्यम से, कभी समूहों के माध्यम से – विभाजन उत्पन्न करती रहती हैं। प्रायः चुनावों के समय इसकी गति बढ़ जाती है। क्या आप ये सब अनुभव करते हैं? अगर हां तो तय मानिए कि ये सब बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि- असमय ही हिंदी विरोध की ये मुहिम कभी इस राज्य से तो कभी उस राज्य से दिखाई देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्र की अधिसंख्य जनता हिंदी में एकता और राष्ट्रीयता का बोध पाती है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को व्यक्त करने वाले जितने भी प्रतीक, आदर्श और व्यवहार होंगे। उनके विरोध में अलगाववाद का वातावरण तैयार करना– राष्ट्रद्रोही शक्तियों का उद्देश्य है।

इसीलिए हम सबकी सतर्कता और सजगता की महती आवश्यकता है। हम देश के किसी भी हिस्से में रहें। जहां भी पृथकता और अलगाववाद के ये कुकृत्य हों। उनका हमें मुखरता के साथ प्रतिकार करना चाहिए।क्यों-कि हम सब भारतवासी– भारत माता की संतान हैं। जो हमारी माता का अपमान करेगा। भारत माता को पीड़ा देने का अपराध करेगा। हम भला उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी परंपरा तो यही कहती है न कि– न्यायार्थ अपने बंधु को भी, दंड देना धर्म है। अतएव हम सबकी जितनी भी भिन्न-भिन्न पहचाने हैं वो सब 'राष्ट्रीयता' और हिंदुत्व की छतरी के नीचे ही समवेत होनी चाहिए। एकाकार और एकात्म होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम निःसंदेह यह मान लें कि हम किसी बहुत बड़े विभाजनकारी 'ट्रैप' का टूल बनते जा रहे हैं।

हमारी सभी भाषाएं, बोलियां, प्रांत, स्थानीयता वेशभूषा सबकुछ राष्ट्र की एकता-अखण्डता को अभिव्यक्त करने वाली हैं। भारत की संस्कृति इतनी विविधवर्णी है कि वह अपने संयोजन में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। अनंत कलाएं, अनंत परंपराएं और शैलियां आपको मिलेंगी। लेकिन सबके केन्द्र में सर्वसमावेशी दृष्टि और सृष्टि का दर्शन मिलेगा। आप किसी भी भाषा, बोली या क्षेत्र में जाइए वहां एकता के सूत्र एक मिलेंगे। हमारे आदर्श, मूल्य और संस्कार एक मिलेंगे। कहीं कोई विभाजन नहीं मिलेगा। हां ये जरूर हो सकता है कि इनके रुप और अभिव्यक्तियां अलग-अलग हों। लेकिन मूल और ध्येय आपको एक ही मिलेगा जो राष्ट्र को अभिव्यक्त करेगा। अपनी-अपनी परंपराओं, क्षेत्रों, बोलियों और भाषाओं के प्रत्येक आदर्शों को देख लीजिए। कहावतों, मुहावरों और सूक्तियों को देख लीजिए। संतों और विद्वानों को देख लीजिए। उनके विचारों और कार्यों में 'विराट राष्ट्र' और एकता, समरसता, बंधुता और प्राणि मात्र के कल्याण की ही भावना मिलेगी। सबमें राष्ट्र की परंपरा का अविरल प्रवाह मिलेगा जो सबको सत्मार्ग की ओर ले जाने वाला है। यही हमारा वैशिष्ट्य है। यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन भारत की यही शक्ति और सामर्थ्य भारत विरोधियों को रास नहीं आ रही है। दुराग्रही कुंठित राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को राष्ट्रीयता का यह विराट स्वरूप पच नहीं पा रहा है। क्योंकि अलगाववाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर बने राजनीतिक दलों को जनता ने बारंबार खारिज कर दिया है। ऐसे में राष्ट्रीयता के समस्त मूल्य और आदर्श उनके लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए वो अपनी खीझ उतारने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या राष्ट्र और समाज उन्हें देख और समझ नहीं रहा है? अगर उन्हें ये भ्रम है तो वो जितना जल्दी हो उसे दूर कर लें। क्योंकि ये राष्ट्र अपने महान आदर्शों और परंपराओं के साथ आगे बढ़ चला है। जो हर विभाजन का मुखर प्रतिकार कर रहा है। एकता की बांसुरी बजाता हुआ–हर भाषा और परंपराओं को अपनाता हुआ नित निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये राष्ट्र पाञ्चजन्य का शंखनाद करते हुए समरसता का जीवन जीते हुए नई लीक बनाते की ओर बढ़ चला है।

– कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

ताकत नहीं चलेगी पड़ेगी मुंह की खानी

क्यों हो रहा विनाश हर जगह
सब जानते हैं पर हैं खामोश
नियमों को रखते हैं ताक पर
सत्ता के नशे में होकर मदहोश
लोगों को जिन्दगी से कर रहे खिलवाड़
विकास के नाम पर खोद दिए पहाड़
सत्ता की राजनीति हर जगह सर्वोपरि
आगाह कर रही प्रकृति मार कर दहाड़
सोचिये जरा कौन है वह हत्यारा
जो विनाश के विकास का है जिम्मेवार
जिंदगियाँ लील ली जिसने अपनी चालों से
सन्नाटा पसरा है वहां जहां कभी होती थी बहार
पकड़ में कैसे आएगा चलता है हमेशा शकुनि चाल
आएगा एक दिन जब होगा शकुनि जैसा हाल
वातानुकूलित कमरे में बैठकर बनती हैं नीतियां
बाहर जाकर देखोगे हकीकत खुल जायेगा कपाल
अपनी गलती दूसरों पर थोपने में है महान
अपनी नहीं मानेगा दोष देगा
प्रकृति को यह मूर्ख इंसान
छः छः मंजिले बना दी वहां जहां
बन नहीं सकता था एक छोटा मकान
नालों पर कर लिया कब्जा कहाँ जाए पानी
पेट नहीं भरता फिर भी थोड़ी है जिंदगानी
सुरक्षा मानकों का जब नहीं रखोगे कभी ध्यान
वहां ताकत नहीं चलेगी पड़ेगी मुंह की खानी

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

बढ़ती आबादी के निरंतर बढ़ते खतरे: आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 प्रतिशत आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पत्तियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।

जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों पुरानी ह्यवन चाइल्ड पॉलिसीह्व को जिम्मेदार माना जाता है। विगत एक दशक में चीन की जनसंख्या करीब सात करोड़ बढ़ी लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से चीन के लिए अलग ही समस्या उत्पन्न होने लगी है। दरअसल चीन को आशंका है कि अगले दस वर्षों में उसकी जनसंख्या में गिरावट आएगी, जिससे कामगारों की संख्या में कमी आने से उसकी खपत भी घटेगी। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक चीन को जिन जनसांख्यिकीय संकट का सामना करना पड़ा था, वह और गहरा होने की उम्मीद थी, इसीलिए चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा। जहां तक भारत की बात है तो यहां 1994 में महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 3.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.2 रह गई थी यानी सामान्य के करीब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ने के बाद से गिरनी शुरू हो जाएगी और 2100 तक पहुंचते-पहुंचते सामान्य प्रजनन दर केवल 1.3 ही रह जाएगी। इसका अर्थ है कि तब अधिकांश परिवारों में केवल एक ही बच्चा होगा और भारत उसी स्थिति में खड़ा होगा, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चीन खड़ा हुआ और उसे विगत सात वर्षों में दो बार अपनी जनसंख्या नीति में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे कानूनों के जरिये जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को व्यावहारिक नहीं माना जा रहा बल्कि इसके लिए डराने-धमकाने वाले कानूनों के बजाय लोगों में जागरूकता पैदा किया जाना सबसे जरूरी है। बगैर कड़े कानूनों के देश के ऐसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, जहां साक्षरता दर ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीब महिलाओं की प्रजनन दर करीब 3.2 है जबकि सम्पन्न महिलाओं में यह दर केवल 1.5 पाई गई है। इसी प्रकार अनपढ़ महिलाओं के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं जबकि शिक्षित महिलाओं में यह संख्या औसतन 1.7 है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जनसंख्या विस्फोट का सीधा संबंध सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों से जुड़ा है। शिक्षा के अभाव में ही देश की बड़ी आबादी को छोटे परिवार के लाभ को लेकर जागरूक नहीं किया जा सका है।

हिंदी विरोध के जरिए राष्ट्रीय मानस पर चोट

इसे राजनीतिक विद्रूप ही कहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार देने वाली मराठी माटी पर ही हिंदीभाषियों को अपमानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर हिंदीभाषियों को अपमानित करने में राजनीति के दो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपमानित करने वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे है तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता है। हिंदीभाषियों को अपमानित करने वाली राजनीति का मकसद हिंदी विरोध पर मराठी मानुष की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के एक हिस्से की राजनीति है, जो अपमानित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस डर से नहीं कर रही कि कहीं इससे मराठी मानुष की धारणा कमजोर ना हो जाए और उसके जरिए उसका अपना समर्थक आधार ना खिसक जाए। राजनीति की इस चक्करघिन्नी में निम्न मध्यवर्गीय या हाशिये वाला हिंदीभाषी समुदाय ही पिस रहा है। उसका अपराध यह है कि वह महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी ना बोलकर हिंदी बोल रहा है। हिंदी बोलने के लिए हिंदीभाषियों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति का अतीत भी ऐसा ही रहा है। शिवसेना का उभार पिछली सदी के साठ के आखिरी वर्षों में मुंबई में मलयालम बोलने वालों को खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ। मनसे के कार्यकर्ता 2008-09 के दौरान तो केंद्रीय नौकरियों के लिए मुंबई में परीक्षाएं देने आए उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश-बिहार के छात्रों को को खुलेआम पिटते रहे। उस समय की राज्य सरकार ने इस बदसलूकी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से बचती रही थी और आज की सरकार का भी कुछ वैसा ही रवैया है। मराठी मानुष का बोध महाराष्ट्र में इतना गहरा है कि सरकारें चाहें जिस भी दल की हो, इस मसले पर तकरीबन एक जैसा रूख अपनाने से परहेज नहीं करतीं। भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का विचार देने में महाराष्ट्र की हस्तियों का बड़ा योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक ने बंग-भंग के वक्त 1905 में वाराणसी की यात्रा की थी। वहां उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा था, उसे महाराष्ट्र की हिंदीविरोधी राजनीति को जानना चाहिए। तिलक ने कहा था, ह्यनिःसंदेह हिंदी ही देश की संपर्क और राजभाषा हो सकती है। लोकमान्य अकेले मराठी मानुष नहीं हैं, जिन्होंने हिंदी को लेकर यह विचार दिया। 1960 से पहले आज का गुजरात राज्य भी महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। 1880 में गुजराती कवि नर्मदाशंकर दवे उर्फ नर्मद कवि ने लोकमान्य से करीब चौथाई सदी पहले हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आगे लाने का सुझाव दिया था। हिंदी को स्थापित करने की महात्मा गांधी की कोशिशों से भला कौन इनकार कर सकता है। 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में हुए इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन को हर हिंदीप्रेमी जानता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी जी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में पहली सार्वजनिक तौर पर हिंदी की ताकत को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, ₹भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है।₹ हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर भी मराठी भाषी ही थे। सतारा में जन्मे कालेलकर ने 1938 में कहा था, ह्यराष्ट्रभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्म है।ह्व रचनात्मक आंदोलनकारी और गांधी जी के शिष्य विनोबा भी ताजिंदगी हिंदी के संघर्षरत रहे। उन्होंने हर भारतीय भाषा को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए अनूठा सुझाव दिया था। उन्होंने हर भाषा से नागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। सिर्फ राजनीति ही नहीं, पत्रकारिता जगत की मराठीभाषी हस्तियों ने भी हिंदी को स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है और साहस दिखाया है। हिंदी पत्रकारिता आज जिस मुकाम पर है, उसमें बड़ा योगदान मराठीभाषी पत्रकारों और लेखकों का भी है। माधव राव सप्रे, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, रामकृष्ण खाडिलकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे पत्रकारों ने हिंदी को नई शैली में गढ़ा, उसके शब्द गढ़े, और उसे ऊंचाई दी। हिंदी इन मराठीभाषी महात्मनों की शुक्रगुजार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से निकले धर्मयुग ने दशकों तक हिंदीभाषी पाठकों के दिलों पर राज किया। ऐसे महाराष्ट्र की धरती पर अगर हिंदी बोलने वालों का अपमान होना दुखद ही कहा जाएगा। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र की धरती पर अतीत में ऐसी सोच नहीं रही है। हिंदी विरोध की ग्रंथि तमिलनाडु में आजादी के पहले से ही रही है, जिसका संक्रमण कर्नाटक तक पहुंचा है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने 2017 में हिंदी बेड़ा अभियान यानी हिंदी विरोधी अभियान चलाया। साल 2019 में हिंदी दिवस न मनाने के लिए भी राज्य में अभियान चला। शुरू में इन विरोध प्रदर्शनों को बड़ा समर्थन नहीं मिला। राजनीति और मीडिया के हलकों में इसकी सुरसुरी दिखी। ऐसे आंदोलनों का असर बाद में पता चलता है। जब विरोध की वैचारिकी के असर में जमीनी स्तर की सोच बदलने लगती है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए हुज्जत करने का दृश्य हो या फिर किसी ऑटोवाले का किसी हिंदीभाषी लड़की को थप्पड़ मारना, कर्नाटक में हिंदी विरोधी आंदोलन की जमीनी परिणति ही कहा जाएगा। निजाम का शासन कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में रहा। दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी लेकर गया था। जिसे आज का महाराष्ट्र देवगिरि के नाम से जानता है। उसके साथ भी हिंदी वहां तक पहुंची थी। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा रहा। इस वजह से विदर्भ भी मोटे तौर पर हिंदी के प्रभाव वाला राज्य है। शायद यही वजह रहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद नहीं रहा। विवाद की वजह अब मनसे और शिवसेना की राजनीति बनी है। इसका कारण नई शिक्षा नीति का वह प्रावधान है, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषायों के जरिए शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत जब प्राथमिक स्तर पर हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश आया तो राज्य की राजनीति में अपनी जगह खोज रहे शिवसेना-उद्धव और मनसे को हिंदी विरोध में ही अपना भविष्य नजर आया। एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद से शिवसेना-उद्धव भी परेशान है और शिवसेना से अलग होने के बाद से मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपना राजनीतिक वजूद की खोज में हैं। दिलचस्प यह भी है कि अतीत में सत्ता और उत्तराधिकार के चलते अलग राह चुनने वाले दोनों चचेरे भाई उद्धव और राज एक कश्ती पर सवार होने की तैयारी में है और उसके लिए उन्होंने हिंदी विरोध की नाव तैयार की है। हिंदी विरोध को लेकर सवाल यह भी है कि मराठी मर्द राज ठाकरे की ताकत हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली हिंदी फिल्मों के गढ़ में जाने से क्यों हिचकती है? कर्नाटक हो या तमिलनाडु, वहां के भी फिल्म निमार्ताओं को जब सौ, दो सौ या पांच सौ करोड़ क्लब में शामिल होना होता है, हिंदी के बाजार पर ही उनका ध्यान जाता है। हिंदी के बाजार से प्यार और हिंदीभाषियों से दुर्व्यवहार-दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जिस तरह का व्यवहार हिंदीभाषियों के साथ हिंदी विरोध के नाम पर हो रहा है, अगर वैसा ही व्यवहार इन राज्यों के निवासियों के साथ हिंदीभाषी इलाकों में होने लगे तो क्या होगा,राजनीति को इस पर भी सोचना होगा। हिंदी को संपर्क भाषा इसलिए स्वीकार किया गया, क्योंकि वह देश को जोड़ने की कूव्वत रखती है। जबकि आज की राजनीति अपनी स्थानीय भाषाओं के नाम पर जिस भावना को फैला रही है, उससे देश का मानस बंटेगा..मानस बंटेगा तो देश में विघटन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। राजनीति चाहे जिस पक्ष की हो, उसे इस नजरिए से हिंदी के विरोध को देखना होगा।

घूँघट की बगावत

13 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

आज राशन कार्ड, मजदूर जॉब कार्ड, आधार कार्ड की आड़ में जो संस्थागत लूट चल रही है, वह रूके। लेकिन रोकेगा कौन? जो भ्रष्ट हैं, जांच का जिम्मा उनसे लेकर अन्य को दिया जाए। सोशल ऑडिट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीएम, एसडीएम की ऐसी लापरवाहियों के लिए स्थायी जांच एजेंसी बने। उसकी रिपोर्ट राजनीतिक दांवपेंच से बाहर रहकर लागू करने का प्रावधान बने। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

सवालों के घेरे में आता मतदाता पहचान पत्र

बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने है और मामला मीडिया माध्यम से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। इसलिए उम्मीद है कि देर आयद, दुरुस्त आयद करते हुए न्यायालय ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगा कि भविष्य में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले मतदाता सूची सम्बन्धी खेल पर पूर्ण विराम लग सके।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर न केवल आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा करने से इसकी प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होगी और विभिन्न आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता सवालों के कठघरे में रहेगी।

कोर्ट का सही मानना है कि ऐसे एसआईआर अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। जहां तक इसे लेकर संशय की स्थिति है तो आधार, राशन कार्ड या जॉब कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर रखने के कारण बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो गया है।

ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण 'पहचान आधार' को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो संस्थागत लूट चल रही है, उसकी अब सोशल ऑडिट जरूरी है, क्योंकि इस मामले में पक्ष-विपक्ष सभी शामिल हैं। सच कहूं तो इससे भारत के उन मूल निवासियों को क्षति हो रही है जिनका देश की सरकार और संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

हमारा आशय उस हिन्दू वर्ग से है जो धार्मिक आधार पर राष्ट्र विभाजन के बाद भी राजनीतिक व संवैधानिक षड्यंत्र का शिकार होता आया है। जब पाकिस्तान व बंगलादेश इस्लामीकरण की राह पर बढ़ रहे हैं तो भारत की धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के साथ बेमानी प्रतीत हो रही है। आलम यह है कि मुस्लिम नेता पाकिस्तान व बंगलादेश से मुसलमानों को बुलाकर यहां बसा रहे हैं और उन्हें सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में मदद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने-टोकने की प्रशासनिक विफलता या मिलीभगत से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जो हिंदुओं के दूरगामी हित के लिए से चेतावनी दे रहे हैं।

ऐसे में एसआईआर की जरूरत है। साथ ही, सरकारी पहचान पत्र बनवाने और उससे लाभान्वित होने के पूरे खेल की समीक्षा हो और जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं और उनके दलों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त हो और अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जाए। क्योंकि ये लोग भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केवल किशनगंज जिले में एक हफ्ते के भीतर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कई जगह घर-घर जाकर इंयुमरेशन फॉर्म्स बांट रहे कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। लिहाजा ऐसे कंफ्यूजन से बेहतर है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले।

जहां तक एसआईआर के समय पर सवाल है तो शीर्ष अदालत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके समय को लेकर जो सवाल उठाया, वह बिल्कुल वाजिब है। ऐसा इसलिए कि बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। लिहाजा बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह इसका समय भी है। जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे।

हालांकि आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, जहां तक नागरिकता पर फैसला का सवाल है तो बताया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है और लोकतंत्र में सबसे अहम है लोक यानी जनता। लेकिन, चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यह रिवीजन जुड़ा है वोटर लिस्ट से, लेकिन मैसेज जा रहा है कि इससे नागरिकता तय होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राहत मिलेगी कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, इतना तो तय है कि इस एसआईआर अभियान का असर अब पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जबतक संविधान में अमूलचूल बदलाव नहीं होगा तबतक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने में मुश्किल आएगी। चूंकि यह मामला केवल बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगला नम्बर पश्चिम बंगाल और असम का आएगा जहां अगले साल चुनाव होंगे।

ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है। इसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण का यह परोक्ष अभियान निकट भविष्य में थमेगा या जारी रहेगा। क्योंकि इसके तार अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। अमेरिका-पाकिस्तान-चीन दशकों से इस कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हमारी सरकारें भी अपने वोट बैंक के लिहाज से काम करती आई हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं। खासकर 15 अगस्त 1947 के बाद उतपन्न अप्रत्याशित स्थिति से!

होना तो यह चाहिए कि भारत सरकार का जनसंख्या रजिस्टर ऑनलाइन हो। उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि इस ग्राम या मोहल्ले का फलां व्यक्ति अब फलां जगह के लिए पलायन कर गया है। उसका एक जन्म प्रमाण पत्र बने जो पूरे देश में लागू हो। मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बने।सभी दस्तावेज इसी आधार पर बनें और पूरे देश में लागू हों। बैंक भी उसी आधार पर खाता खोलें। आज राशन कार्ड, मजदूर जॉब कार्ड, आधार कार्ड की आड़ में जो संस्थागत लूट चल रही है, वह रूके। लेकिन रोकेगा कौन? जो भ्रष्ट हैं, जांच का जिम्मा उनसे लेकर अन्य को दिया जाए। सोशल ऑडिट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीएम, एस-डीएम की ऐसी लापरवाहियों के लिए स्थायी जांच एजेंसी बने। उसकी रिपोर्ट राजनीतिक दांवपेंच से बाहर रहकर लागू करने का प्रावधान बने। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

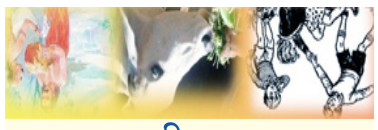

जीवन

जीवन
पाप -पुण्य का संगम है
पाप को छोड़
पुण्य ग्रहण करते जाइए
जीवन सुखद बनाते जाइए।
जीवन
फूल -कांटों का संगम है
कांटों को छोड़
फूल चुनते जाइए
जीवन सुखद बनाते जाइए।
जीवन
सुख -दुःख का संगम है
दुःख को छोड़
सुख ग्रहण करते जाइए
जीवन सुखद बनाते जाइए।

– मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
फतेहाबाद, आगरा

बचपन के खेल

गुरु दक्ष प्रजापति: सृष्टि के अनुशासन और संस्कारों के प्रतीक

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति वेदों, यज्ञों और परिवार प्रणाली के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अनुशासन और मयार्दा को समाज में स्थापित किया, किन्तु शिव-सती प्रसंग के माध्यम से यह भी दिखाया कि कठोरता से प्रेम मर जाता है। आज की पीढ़ी के लिए उनका जीवन-संदेश यह है—कर्तव्य, सहिष्णुता और संतुलन ही सच्चे धर्म का स्वरूप है।

भारतीय वैदिक परंपरा में दक्ष प्रजापति एक ऐसा नाम है, जो सृष्टि के आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ, जिनका नाम ही 'दक्ष' अर्थात 'कुशलता' का प्रतीक है। गुरु दक्ष केवल एक ऋषि या सृष्टिकर्ता नहीं थे, वे वेद, यज्ञ, अनुशासन, मयार्दा और पारिवारिक मूल्य प्रणाली के प्रणेता भी माने जाते हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में उनका उल्लेख किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मनीषी के रूप में हुआ है जिनका जीवन अनुकरणीय था और जिनकी जीवन दृष्टि आज भी सामाजिक संतुलन और नैतिकता का मार्गदर्शन करती है।

ब्रह्मा के पुत्र, सृष्टि के विस्तारक

दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए नियुक्त किया था। वे उन 21 प्रजापतियों में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मा ने विविध जीवों की उत्पत्ति और उनके संचालन हेतु सृजित किया। ह्यदक्षह्ल का शाब्दिक अर्थ होता है—जो दक्ष है, कुशल है, अनुशासित है। और यह नाम उनके आचरण, कार्यों और योगदानों के अनुकूल भी है। उन्होंने सृष्टि के विविध तत्वों में संतुलन बनाए रखने हेतु अपनी कन्याओं का विवाह विभिन्न ऋषियों और देवताओं से किया। उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ, जो कालगणना और प्रकृति चक्र के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया।

यज्ञ परंपरा के मूल स्रोत

दक्ष प्रजापति को वैदिक परंपरा में यज्ञाचार्य की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त है। यज्ञ, जिसे हम कर्मकांड या धार्मिक कृत्य के रूप में जानते हैं, उसका उद्देश्य मात्र देवताओं की तुष्टि नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन था। दक्ष के यज्ञों में वेदों की ऋचाओं का उच्चारण, मयार्दा और नियम का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन्होंने समाज में यज्ञ को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य के रूप में स्थापित किया।

पारिवारिक मयार्दा बनाम व्यक्तिगत अहं

गुरु दक्ष का जीवन एक अद्भुत दार्शनिक ग्रंथ की तरह है। वह अध्याय जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह का विरोध किया, हमारे सामाजिक मनोविज्ञान पर गहरी रोशनी डालता है। दक्ष को शिव का आसामाजिक, भस्मधारी, स्मशानवासी स्वभाव स्वीकार नहीं था। वे मयार्दा, अनुशासन, और वेदों के विधानों के अनुकूल जीवन को ही श्रेष्ठ मानते थे। जबकि शिव इस परंपरा से इतर एक मुक्त योगी, एक तटस्थ महादेव थे, जो सामाजिक मान्यताओं से परे थे। यह विरोध एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने सती के आत्मदाह, यज्ञ के विध्वंस और अंततः शिव के तांडव रूपी विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रसंग केवल पारिवारिक संघर्ष नहीं था, बल्कि 'संस्कृति बनाम साधना', 'परंपरा बनाम स्वतंत्रता', 'आस्था बनाम तर्क' के गहरे द्वंद्व को उजागर करता है।

यज्ञ की विनाशगाथा: प्रतीक और संदेश

दक्ष द्वारा शिव को आमंत्रण न देना, सती का अपमान, और फिर यज्ञ का विनाश – यह त्रयी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब अहंकार, मयार्दा से बड़ा हो जाए, तो धर्म भी विनष्ट हो जाता है। दक्ष का यज्ञ विनाश एक सीख है कि धर्म केवल विधियों से नहीं, विनम्रता और समावेश से चलता है। शिव ने केवल यज्ञ विध्वंस नहीं किया, उन्होंने यह सिखाया कि एक पक्षीय धार्मिकता अधूरी होती है। दक्ष का अंत भी शिक्षा देता है। शिव ने अंततः उन्हें पुनर्जीवन दिया – किन्तु एक बकरी के सिर के साथ। यह प्रतीक है, कि यदि हम सिर यानी विवेक खो बैठें, तो हमारी पहचान भी बदल जाती है। लेकिन यदि हम पुनरुद्धार की इच्छा रखें, तो पुनर्जन्म संभव है।

आज के युग में गुरु दक्ष की प्रासंगिकता

आज जब आधुनिक समाज अनुशासनहीनता, पारिवारिक विघटन और आध्यात्मिक खोखलेपन से जूझ रहा है, तब गुरु दक्ष की शिक्षाएँ और दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो जाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में केवल स्वतंत्रता नहीं, अनुशासन भी आवश्यक है। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी आवश्यक हैं। केवल यश नहीं, मयार्दा भी महत्वपूर्ण है। आज के युवा जो आकर्षण और स्वच्छंदता के नाम पर सामाजिक दायित्वों से कटते जा रहे हैं, उनके लिए गुरु दक्ष का जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने अपने कर्तव्यों, पुत्रियों के विवाह, यज्ञ के आयोजन और समाज संचालन में अनुशासन का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी मार्गदर्शन करता है।

सामाजिक समरसता के प्रेरक

गुरु दक्ष ने अपनी कन्याओं के विवाह विभिन्न ऋषियों, देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों से कराकर यह संकेत दिया कि सृष्टि में सभी का आपसी सहयोग आवश्यक है। नक्षत्र चंद्रमा के विवाह का ही उदाहरण लें—उन्होंने 27 कन्याओं को एक ही देवता को सौंपा। यह केवल खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, संतुलन और सह-अस्तित्व की भावना का प्रतीक है।

समरसता और संतुलन का पथ

गुरु दक्ष एक ही समय में अनुशासन और त्रुटियों के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि मयार्दा जब कठोर हो जाए, तो प्रेम का गला घुट जाता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि त्रुटियों से शिक्षा लेकर पुनः धर्म पथ पर लौटा जा सकता है। उनकी जयंती पर हम यदि केवल दीप जलाकर, शोभायात्रा निकालकर रह जाएँ, तो यह उस ऋषि का अपमान होगा जो कर्म, संस्कार, त्याग और संतुलन का मूर्त रूप था। हमें उनके जीवन से वह दृष्टि ग्रहण करनी चाहिए जो समाज को जोड़ती है, न कि तोड़ती है; जो धर्म को आडंबर नहीं, उत्तरदायित्व बनाती है।

-प्रियंका सौरभ

धर्मांतरण का धंधा: विदेशी फंडिंग और सामाजिक विघटन का षड्यंत्र

उत्तर प्रदेश में एटीएस ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें विदेशी फंडिंग के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये 40 खातों में भेजे गए। मुख्य आरोपी ह्यछांगरू बाबाह्ल उर्फ जमशेदुद्दीन के नेतृत्व में यह गिरोह ऊंची जाति की लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपये की दर से धर्मांतरण कराता था। यह मामला केवल आस्था नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक षड्यंत्र है जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर राष्ट्र की एकता को तोड़ने का प्रयास करता है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, संगठित अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए।

धर्म किसी भी समाज की आत्मा होता है, लेकिन जब धर्म का प्रयोग 'धंधे' में बदल जाए तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा उजागर किए गए एक बड़े धर्मांतरण रैकेट ने यही भयावह सच्चाई हमारे सामने रखी है। कथित रूप से ह्यछांगरू बाबाह्ल उर्फ जमशेदुद्दीन के नेतृत्व में यह गिरोह न केवल भोले-भाले लोगों का धर्मांतरण कर रहा था, बल्कि इसके पीछे एक व्यवस्थित नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और जातिगत लक्ष्य निर्धारण भी शामिल था।

जिस प्रकार से इस रैकेट की कार्यप्रणाली सामने आई है, वह धर्मांतरण को एक सुनियोजित व्यवसाय के रूप में प्रकट करती है। यह कोई व्यक्तिगत आस्था का निर्णय नहीं, बल्कि विदेशी पैसों से संचालित एक मिशन था ह्य जिसमें धर्म, जाति, स्त्री और समाज को एक वस्तु की तरह देखा गया। एफआईआर और जांच रिपोर्ट के अनुसार, धर्मांतरण के लिए बाकायदा 'रेट कार्ड' था। ऊंची जाति की लड़कियों के लिए धर्मांतरण की दर 15-16 लाख रुपये तक थी, जबकि अन्य लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपये। सोचिए, जब धर्म को भी जाति और लिंग के आधार पर मूल्यांकित किया जाने लगे, तो वह किस स्तर तक गिरावट का प्रतीक बनता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रैकेट के पास 40 बैंक खाते थे जिनमें विदेशों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई। यह रकम किसके इशारे पर भेजी गई, किन उद्देश्यों के लिए, और किन देशों से ह्य यह सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों के नहीं, पूरे देश के हैं। क्या यह केवल धर्मांतरण के लिए था या इसके पीछे कोई और बड़ा वैश्विक, राजनीतिक या वैचारिक षड्यंत्र भी छिपा है?

इस रैकेट की कार्यशैली में सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया गया। वीडियो, मोटिवेशनल भाषण, ह्यइस्लाम कबूल करने से मिली राहतह्ल जैसे फर्जी वीडियो वायरल कर कमजोर तबकों को बरगलाया गया। पहले मानसिक रूप से प्रभावित किया गया, फिर आर्थिक लालच दिया गया और अंत में जबरन धर्मांतरण। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा है ह्य जहां पहले मस्तिष्क जीता जाता है, फिर शरीर। और सबसे दुखद यह कि इसे धर्म का नाम दिया गया।

इस प्रकरण में बलरामपुर जिले के एक पूरे परिवार के धर्मांतरण की पुष्टि हुई है। वहां महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई एक अपवाद नहीं, बल्कि उसी पैटर्न का हिस्सा है ह्य जिसमें ग्रामीण, अशिक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया जाता है। यह सामाजिक असमानता का शोषण है। जब राज्य, समाज और प्रशासन इन परिवारों की रक्षा नहीं कर पाते, तो ऐसे गिरोह अपना मकड़जाल फैलाते हैं।

इस रैकेट का सबसे खतरनाक पहलू था जातिगत दर निर्धारण। ऊंची जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए अधिक पैसा दिया जाता था। इसका मतलब है कि धर्मांतरण सिर्फ धर्म का नहीं, जाति-सामाजिक संरचना को तोड़ने का औजार भी बन चुका है। यह न केवल हिंदू समाज को कमजोर करने की चाल है, बल्कि राष्ट्र को आंतरिक रूप से विखंडित करने की भी रणनीति है। इस मामले पर तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी वर्ग चुप है। वही वर्ग जो 'धर्मनिरपेक्षता' की दुहाई देता है, ह्यसंविधान की आत्माह्ल की बात करता है, आज गूंगा बना बैठा है। क्यों? क्या धर्मांतरण को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया गया है? क्या किसी गरीब, दलित, महिला या आदिवासी का जबरन धर्म बदलवाना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अगर किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने से किसी को आपत्ति है, तो उस पर शोर मचता है, लेकिन जब उसी दलित को पैसों से धर्म बदलवाया जाता है तो कोई नहीं बोलता। यह मौन स्वयं एक अपराध है। यह भी गौरतलब है कि ऐसे मामलों पर राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक की राजनीति के कारण खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देते। अल्पसंख्यकों की 'संवेदनशीलता' के नाम पर ऐसे राष्ट्रघातक कृत्यों को नजरअंदाज किया जाता है। सवाल यह है कि क्या देश की अखंडता और सामाजिक समरसता वोट बैंक से भी छोटी हो गई है? अगर कोई हिंदू संगठन धर्मांतरण रोकने की बात करता है तो उसे कट्टरपंथी कह दिया जाता है, लेकिन जब धर्मांतरण के नाम पर विदेशी पैसा आकर समाज को तोड़ता है, तो सब चुप हो जाते हैं।

यह मामला अकेला नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सामाजिक दुर्बलता, आर्थिक मजबूरी और शिक्षा की कमी का लाभ उठाकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और मजबूत बनाना चाहिए। विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र को सशक्त करना चाहिए। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समाज को आत्मनिर्भर और सजग बनाना जरूरी है।

धर्म आत्मा का विषय है, उसे सौदेबाजी का औजार बनाना न केवल अपराध है, बल्कि मानवता का भी अपमान है। धर्मांतरण जब व्यक्तिगत चेतना से नहीं, लालच, भय या फरेब से होता है, तो वह धर्म नहीं, शोषण होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम धर्मांतरण की आड़ में चल रहे इन संगठित अपराधों को पहचानें, उनका विरोध करें और समाज को ऐसी गतिविधियों से बचाने के लिए संगठित प्रयास करें। धर्म को न बेचे, न खरीदें-बल्कि समझें, आत्मसात करें और उसकी गरिमा को बचाए रखें।

डॉ. सत्यवान सौरभ

घूँघट की बगावत

13 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

5

सावन मनभावन: भीगते मौसम में साहित्य और संवेदना की हरियाली

सावन आ गया है। वर्षा ऋतु की पहली दस्तक के साथ ही जब बादल घिरते हैं और बूँदें धरती को चूमती हैं, तो केवल पेड़-पौधे ही नहीं, मनुष्य का अंतर्मन भी हरा होने लगता है। यह महीना केवल वर्षा का नहीं, स्मृति, संवेदना और सृजन का है। सावन जब आता है, तो कविता झरने लगती है, लोकगीत गूंजने लगते हैं, पायलें छनकने लगती हैं और रूठा प्रेम भी नमी में घुलकर लौट आता है।

सावन: एक ऋतु नहीं, एक मन:स्थिति है

भारतीय मानस में ऋतुएँ केवल मौसम नहीं, जीवन के प्रतीक रही हैं। वसंत प्रेम का, ग्रीष्म तपस्या का और सावन प्रतीक्षा का महीना बनकर आता है। सावन में अक्सर प्रेयसी अकेली होती है, प्रियतम किसी दूर देश गया होता है, और प्रतीक्षा के बीच में विरह का काव्य जन्म लेता है। इसलिए साहित्य में सावन का आगमन केवल प्राकृतिक नहीं, आत्मिक घटना है।

नइहर से भैया बुलावा भेजवा दे,
कजरारे नयनवा काहे भर आईल,
जैसे कजरी गीत सिर्फ आवाज नहीं,
पीड़ा का पानी बनकर झरते हैं।

लोक संस्कृति में सावन का रंग

सावन का महीना भारतीय लोक परंपरा का सबसे रंगीन अध्याय है। कहीं तीज मनाई जा रही होती है, कहीं झूले पड़ रहे होते हैं, कहीं मेंहदी लग रही होती है तो कहीं बहनों के लिए राखी के गीत तैयार हो रहे होते हैं। यह महीना नारी मन की सृजनात्मक उड़ान का समय होता है। दादी-नानी की कहानियाँ, माँ के गीत, और बेटियों की प्रतीक्षा इ सब कुछ सावन की हवा में घुल जाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में कजरी, झूला गीत, सावनी और हरियाली तीज लोककाव्य का रूप ले लेती हैं। ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, महिला सशक्तिकरण के सांस्कृतिक दस्तावेज हैं – जहाँ स्त्रियाँ अपनी भावनाएँ, शिकायतें, प्रेम और विद्रोह तक गा डालती हैं।

साहित्य में सावन: बरसते बिम्ब और प्रतीक

साहित्यकारों ने सावन को केवल प्रकृति-चित्रण के लिए ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के प्रतिनिधि के रूप में देखा है।

महादेवी वर्मा के शब्दों में सावन अकेलेपन की पीड़ा है: नीर भरी दुख की बदली।

मैथिलीशरण गुप्त ने सावन को श्रृंगार रस में देखा- चपला की चंचल किरणों से, छिटकी वर्षा की बूँदें

गुलजार की कविता हो या नागार्जुन की भाषा, सावन हर किसी के लिए कुछ कहता है। किसी के लिए वो टूटे रिश्तों की याद है, किसी के लिए माँ की गोद में बिताया बचपन, और किसी के लिए प्रेम की भीगी पहली रात।

भीतर की बारिश को समझना जरूरी है

आज जब हम एसी कमरों में बैठे, मोबाइल पर मौसम का अपडेट पढ़ते हैं, तब सावन की असली खुशबू कहीं खो जाती है। हमने बारिश को केवल ट्रैफिक की समस्या बना दिया है। सावन अब इंस्टाग्राम स्टोरी बनकर रह गया है। पर क्या हमने कभी भीतर की बारिश को महसूस किया है? वह बारिश जो हमें धो देती है – अहंकार से, शुष्कता से, थकान से। सावन हमें फिर से नम करता है – हमें इंसान बनाता है। प्रकृति की गोद में लौटने का आमंत्रण है ये मौसम।

आज के कवियों के लिए सावन क्या है?

आज के कवियों को सावन का सिर्फ चित्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके भीतर छिपी विसंगतियों को भी पकड़ना चाहिए। जब ग्रामीण भारत के खेतों में पानी नहीं और शहरों में जलभराव है, तब यह असमानता भी साहित्य का विषय बननी चाहिए। कविता को झूले और कजरी के अलावा किसानों के अधूरे सपनों, बर्बाद फसलों, और जलवायु परिवर्तन के संकट को भी शब्द देना होगा।

सावन और रंगमंच: नाट्य का मौसम

सावन केवल काव्य का विषय नहीं, रंगमंच और लोकनाट्यों का भी प्रिय समय है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस मौसम में झूला महोत्सव, सावनी गीत प्रतियोगिताएँ, लोकनाट्य और कविता गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं। यह मौसम कलाकारों के पुनर्जन्म जैसा होता है। उनके रंग, उनके स्वर और उनके मंच, सभी में नमी आ जाती है – जो सीधे दर्शक के हृदय तक पहुँचती है।

आधुनिक मन और सावन की चुनौती

आज का मानव सावन को देख तो रहा है, पर महसूस नहीं कर रहा। उसका मन इतनी सूचनाओं, मशीनों और तथ्यों में उलझ गया है कि वह बारिश को केवल मौसम विभाग के पूवार्नुमान के रूप में लेता है। पर सावन को समझना है तो, खिड़की खोलनी होगी झ मन की भी और कमरे की भी। बूँदों को केवल त्वचा पर नहीं, आत्मा पर भी गिरने देना होगा।

प्रकृति का मौसमी संदेश

सावन हमें याद दिलाता है कि विकास और विनाश के बीच संतुलन जरूरी है। बारिश से पहले आई भीषण गर्मी, जल संकट, जंगलों में आग – यह सब बताता है कि हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है। सावन की बारिश इस बिगाड़ को थोड़ी राहत देती है, पर चेतावनी भी देती है कि अगर हमने अब भी नहीं सुधारा, तो सावन केवल स्मृति बनकर रह जाएगा।

समाप्ति की ओर एक सादगी भरा संदेश

सावन को आने दो।
उसे भीतर आने दो।
जब वह बूँद बनकर गिरे,
तो केवल छतों पर नहीं,
तुम्हारी कविता में भी गिरे।
जब वह झूला बनकर डोले,
तो केवल पेड़ों पर नहीं,
तुम्हारी कल्पना में भी डोले।
यह मौसम मन का है,
बस उसे पहचानने की जरूरत है।

बचपन के वे झूले,
माँ के लगाए मेंहदी के रंग,
छत पर रखे बर्तन,
और खेत में दौड़ता नंगाधड़ंग बच्चा –
सब अब भी हमारे भीतर कहीं जिंदा हैं।
उन्हें जरा सावन में बाहर आने दो।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: नवाचार की उड़ान या बौद्धिक चोरी का यंत्र?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज नई रचनात्मकता का माध्यम बन चुकी है, पर यह बहस का विषय है कि क्या यह नवाचार, रचनाकारों की मेहनत की चोरी पर टिका है? अमेरिका में अदालतों ने एआई द्वारा ह्यसीखी गईह्ल सामग्री को उचित प्रयोग माना, पर रचनाकार असंतुष्ट हैं। भारत में समाचार एजेंसी एएनआई ने ओपनएआई के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत की है। देश में मौजूदा कानून इस तकनीकी चुनौती के लिए नाकाफी हैं। भारत को चाहिए कि वह अपने बौद्धिक संपदा कानूनों को अद्यतन करे ताकि तकनीकी विकास के साथ रचनात्मक अधिकारों की भी रक्षा हो सके।

इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी छलांगों में से एक है जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता – यानी ऐसा कंप्यूटर मस्तिष्क जो कहानी से लेकर समाचार रिपोर्ट, चित्र से लेकर कविता, और अदालत के निर्णय से लेकर संवाद तक खुद रच सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस मशीनी रचनात्मकता की नींव क्या किसी और की मेहनत पर टिकी है? क्या यह नई तकनीक रचनाकारों, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों और संगीतकारों की बनाई सामग्रियों को चुपचाप अपने ज्ञान का हिस्सा बना रही है – बिना उनकी अनुमति, बिना कोई श्रेय दिए? हाल ही में अमेरिका की दो अदालतों में ऐसे ही मामलों पर निर्णय हुआ। इन फैसलों ने फिलहाल तकनीकी कंपनियों को राहत दी है, पर यह विषय अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। इन फैसलों ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है – और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले मॉडल – जैसे कि ओपनएआई का चैटजीपीटी या मेटा का लामा – करोड़ों पुस्तकों, वेबसाइटों, गीतों, समाचारों और चित्रों का अध्ययन करके प्रशिक्षित किए जाते हैं। इनका प्रशिक्षण इस तरह होता है जैसे कोई छात्र पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यह छात्र उस पुस्तक को पढ़ने से पहले लेखक से न अनुमति लेता है, न ही लेखक को श्रेय या पारिश्रमिक देता है। यही से विवाद आरंभ होता है।

2024 में अमेरिका में पहला मामला आया जिसमें कुछ उपन्यासकारों ने कंपनी ह्यएंथ्रॉपिकह्ल पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पुस्तकों का उपयोग अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। लेखकों का कहना था कि यह उनकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन है। परंतु अदालत ने निर्णय दिया कि यह मॉडल जो नई सामग्री उत्पन्न कर रहा है, वह मूल रचना से अलग, नया और परिवर्तित है। इसलिए यह ह्यउचित प्रयोगह्ल की श्रेणी में आता है और कंपनी को अपराधी नहीं माना जा सकता।

दूसरे मामले में कंपनी मेटा पर साहित्य और पत्रकारिता सामग्री को बिना अनुमति इस्तेमाल करने का आरोप था। अदालत ने माना कि कंपनी ने सचमुच संरक्षित रचनाएं पढ़ी थीं, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ नया सीखना और बनाना था, इसलिए इसे भी 'परिवर्तनकारी उपयोग' मानते हुए मेटा को दोषमुक्त कर दिया गया।

इन दोनों फैसलों से एक संदेश यह गया कि न्यायालय फिलहाल तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन लेखक समुदाय और बौद्धिक श्रमिकों के मन में यह सवाल घर करता जा रहा है कि यदि यह ह्यउचित प्रयोगह्ल है, तो उनकी मेहनत, मौलिकता और अधिकारों का क्या? अब दृष्टि भारत की ओर मोड़ते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने वर्ष 2024 में ओपनएआई पर आरोप लगाया कि उसके संवाद आधारित मॉडल (जैसे चैटजीपीटी) उनकी समाचारों की भाषा, शैली और विषय-वस्तु की हूबहू नकल कर रहा है। इसके अलावा प्रकाशक संघों ने भी आरोप लगाए कि भारत में कॉपीराइट पंजीकरण की अनदेखी कर इन एआई कंपनियों ने भारतीय सामग्री का व्यावसायिक दोहन किया।

ओपनएआई का पक्ष यह था कि वह भारत में न तो अपने सर्वर चलाता है, न ही उसका कोई स्थायी कार्यालय है। उसका तर्क था कि उसकी तकनीक कुछ नया, परिवर्तित और जनहित में उपयोगी सामग्री तैयार करती है – और यह बौद्धिक चोरी नहीं कहलाती। यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और इसकी सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में अब यह बहस न्यायिक गलियारों में पहुंच चुकी है।

प्रश्न यह है कि क्या भारत का मौजूदा बौद्धिक संपदा कानून इस नई तकनीकी चुनौती के लिए तैयार है? 1957 में बनाए गए कॉपीराइट अधिनियम में ह्यउचित प्रयोगह्ल की धारणा है, पर उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मामलों की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ना ही भारत में ऐसा तंत्र है जो यह जांच सके कि कोई एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए किन सामग्रियों का उपयोग कर रहा है और वे सामग्री कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं या नहीं।

आज लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार, फोटोग्राफर और पत्रकार यह महसूस कर रहे हैं कि उनका सृजन कार्य मशीनों के पेट में डाला जा रहा है, और बदले में उन्हें न कोई श्रेय मिल रहा है, न ही पारिश्रमिक। यह न केवल कानूनी बल्कि नैतिक चिंता का विषय है।

इस विषय पर बहस यह नहीं है कि तकनीक को रोका जाए। नवाचार और प्रौद्योगिकी की प्रगति आवश्यक है, लेकिन वह प्रगति ऐसी न हो जो मानवीय रचनात्मकता को निगल जाए। अगर कोई लेखक दस वर्षों की मेहनत से एक उपन्यास रचता है, और कोई मशीन दो सेकंड में उसकी शैली की नकल करके नया 'उत्पाद' बनाती है, तो यह न तो न्यायसंगत है, न ही सम्मानजनक। न्यायालयों की जिम्मेदारी अब केवल यह नहीं रह गई कि वे कंपनियों और व्यक्तियों के बीच विवाद सुलझाएं, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य का तकनीकी विकास समान रूप से सभी के हित में हो। केवल पूंजी और तकनीक के सहारे अगर किसी का बौद्धिक श्रम मुफ्त में हड़पा जा रहा है, तो वह लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन है। भारत को चाहिए कि वह अपने कॉपीराइट कानूनों की पुनर्रचना करे – विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग के अनुरूप। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें रचनाकारों की रचनाओं को यदि तकनीक द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें उसका पारिश्रमिक मिले, उनके नाम का उल्लेख हो, और उनकी अनुमति अनिवार्य हो।

यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह साहित्य, संस्कृति और रचनात्मकता की रक्षा की बात है। यदि हम अपने समय के रचनाकारों की अनदेखी करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ तकनीक तो पाएंगी – पर संवेदना नहीं, आत्मा नहीं।

मशीनों को दी उड़ान, पर कलम से छीना आसमान,
बिना श्रेय के ज्ञान अगर, तो कैसा विज्ञान?

-प्रियंका सौरभ

ईश्वर के दरबार में पांव फैला रहा भ्रष्टाचार गहन चिन्ताजनक एवं शर्मनाक

ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पैसे लेकर दर्शन कराने वाले बाउंसरों की गिरफ्तारी के बाद श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के नाम पर एक साथ इक्कीस लोगों की गिरफ्तारी जहां मंदिर प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है, वही ईश्वर के दरबार में पांव फैला रहा भ्रष्टाचार गहन चिन्ताजनक एवं शर्मनाक हैं। कुछ ही दिनों पहले ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर में भक्तों से वीआइपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने पर प्रशासन ने एक होमगार्ड जवान और दो पंडितों पर कार्रवाई की है। देश-विदेश के भक्त अगाध श्रद्धा से अपने आराध्य का दर्शन करने आते हैं, लेकिन देश के प्रमुख मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने के नाम पर पैसों की लूट मची है या वीआईपी संस्कृति के नाम पर त्रासद एवं भेदभावपूर्ण स्थितियां पसरी है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और आयोजनों में क्यों भक्तों के बीच भेदभाव होता है? मन्दिरों में गरीब एवं अमीर के बीच भेदभाव की स्थितियां खुला भ्रष्टाचार ही है। पैसे लेकर एवं वीआईपी दर्शन की अवधारणा भक्ति एवं आस्था के खिलाफ है। यह एक असमानता का उदाहरण है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात करती है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। मंदिर का चप्पा-चप्पा सीसीटीवी कैमरे की पहुंच में है। यह मन्दिर सुरक्षा कारणों से अतिसंवेदनशील स्थल होने के बावजूद ऐसा कृत्य खेदजनक ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि दर्शन की प्रचलित व्यवस्था को और सुगम, भ्रष्टाचार व दोषरहित बनाए ताकि व्यवस्था में कोई सेंध न लगे और जन-आस्था आहत न हो।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में तो सुगम दर्शन का शुल्क भी जमा कराया जाता है पर ठगों की जमात ने शीघ्र दर्शन के नाम पर कमाई का नया रास्ता तलाश लिया। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि वह सुगम दर्शन व्यवस्था के नाम पर हो रही धांधली को गंभीरता से ले। फर्जी पंडा, गाइड बनकर लोगों को झांसे में लेने वाले लोग अचानक एक दिन में डेरा नहीं जमाए होंगे। यह सब काफी समय से चल रहा होगा। इस प्रकार की ठगी करने की संभावना कैसे बन जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात केवल ठाकुर बांके बिहारी मंदिर या श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ही नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख मन्दिरों में बढ़ती जन-आस्था की भीड़ एवं लम्बी-लम्बी लाइनों के बीच पैसे लेकर या वीआईपी दर्शन कराने की त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों की हैं, जिसने न केवल देश के आम आदमी के मन को आहत किया है, बल्कि भारत के समानता के सिद्धान्त की भी धज्जियां उड़ा दी है। कुछ विशेष लोगों को मिलने वाले वीआईपी सम्मान एवं सुविधा पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। बांके बिहारी मंदिर में एक बार फिर वीआईपी कल्चर का खेल सामने आया है। मंदिर की भीड़ से हटकर वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर एक निजी सुरक्षा एजेंसी ने बाउंसर उपलब्ध कराकर पैसे कमाने का गोरखधंधा शुरू कर दिया था। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचार कर यह दावा किया कि वे श्रद्धालुओं को भीड़ से बचाकर विशेष वीआईपी दर्शन कराने में मदद कर सकते हैं। यह तो घोषित गैरकानूनी व्यवस्था है, लेकिन अन्य प्रमुख मन्दिरों में भी मन्दिर से जुड़े लोग या अन्य ठग पैसे लेकर दर्शन कराते हैं। सबसे ज्यादा दुखद एवं विडम्बनापूर्ण है वीआईपी दर्शन का प्रचलन। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लालबत्ती एवं ऐसी अनेक वीआईपी सुविधाओं को समाप्त कर दिया था तो मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों की वीआईवी संस्कृति को क्यों नहीं समाप्त किया? क्यों मन्दिरों में वीआईपी दर्शन के लिये सरकार ने अलग से व्यवस्थाएं की। दरअसल, वीआईपी संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक है। यह धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र से लेकर आस्था तक, कई मौकों पर कुछ खास लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, फिर भी व्यवहार में कुछ लोग ह्यविशेषह्ल बन जाते हैं, चाहे वे सड़क पर हों, सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में या मंदिरों में! इसी तरह, बड़े नेताओं और अधिकारियों के लिये मन्दिरों में सीधे दर्शन कराने की व्यवस्थाएं हैं, जिससे लम्बी कतारे और लम्बे समय का इंतजार करती है। ऐसी व्यवस्था से मन्दिरों एवं धार्मिक आयोजनों में हादसें भी होते हुए देखे गये हैं। इन वीआईपी के लिए अक्सर यातायात रोक दिया जाता है, जिससे आम जनता घंटों जाम में फंसी रहती है। अस्पतालों में वीआईपी वार्ड हैं, जबकि आम मरीजों को बिस्तर भी नहीं मिल पाता। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर वीआईपी यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आम लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। वीआईपी संस्कृति एक नासूर बन गई है। यही कारण है कि हर सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का वादा करती है, लेकिन हकीकत में इसे बनाए रखने के नए-नए तरीके खोजे जाते हैं।

न्यायालय में निर्णायक मोड़ लेता श्रीकृष्ण जन्मभूमि मसला

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को ह्यविवादित संरचनाह्ल घोषित करने की हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालती रिकॉर्ड और आगे की सभी कार्यवाहियों में मस्जिद को आधिकारिक रूप से विवादित स्थल के रूप में दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने मौखिक रूप से याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में हिंदू पक्ष द्वारा दायर आवेदन को ह्यइस चरण मेंह्ल खारिज किया जा रहा है। इस फैसले को लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्षकार भले ही राहतकारी माने, लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह भूमि विवाद पर जो भी फैसला अंतिम रूप से आएगा, वह बहुत प्रभावी होगा, न्यायसंगत होगा। अतः ऐसे किसी पुख्ता फैसले तक पहुंचते हुए पूरी सावधानी एवं धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। इस फैसले से इस विवाद में एक नया रुख सामने आया है, जो महत्वपूर्ण और विचारणीय है।

याचिका में यह मांग की 'शाही ईदगाह मस्जिद' शब्द की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द का इस्तेमाल किया जाए, अगर यह शाब्दिक बदलाव किया जाता, तो एक तरह से यह इस विवाद पर निर्णायक फैसले जैसा होता। जिससे अनावश्यक विवाद या अड़चन की संभावनाएं पनपती। यह विवाद राजनीति मोड़ भी ले सकता था, निश्चित ही अगर राजनीति होगी, तो अंतिम फैसले में अनावश्यक रूप से समय लगेगा। साथ ही, अशांति की आशंका भी बढ़ेगी। इसलिये अदालत के फैसले को सकारात्मक नजरिये से देखा जाना चाहिए। नए नामकरण की यह कोशिश उच्च न्यायालय में अगर नाकाम हुई है, तो कोई अचरज नहीं, ना ही किसी पक्ष की जीत और किसी पक्ष की हार है। इतने संवेदनशील मसले में यह नामकरण पूरे मुकदमे को प्रभावित करता, अतः अदालत ने समझदारीपूर्ण सही फैसला किया है। ह्यश्रीकृष्ण जन्मभूमिह्ल का स्थान न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमिट प्रतीक भी है। परंतु, इसी पवित्र स्थल पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के साथ एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है जो अब न्यायालय की चौखट पर निर्णायक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है।

जन्मभूमि पक्ष के याचिकाकताओं का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित है, अतः जन्मभूमि पक्ष को भूमि पर कब्जा दिया जाए। मस्जिद के ढांचे को हटाया जाए, मूल मंदिर का निर्माण हो, वहां मुस्लिम मजहबी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इन्हीं मांगों के साथ जन्मभूमि पक्ष की ओर से करीब 18 मुकदमे दायर हैं। इनकी सुनवाई यथावत जारी रहेगी। नामकरण संबंधी आवेदन के खारिज होने का कोई असर मूल मुकदमों पर नहीं पड़ेगा। अब दोनों ही पक्षों को पूरे संयम का परिचय देना चाहिए। अदालत का ताजा रुख न किसी के लिए बड़ी हार है और न किसी के लिए बड़ी जीत। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मभूमि के पक्ष में दायर याचिकाओं को अदालत ने सुनने लायक माना है। पहले इन याचिकाओं को ईदगाह पक्ष ने चुनौती दी थी, पर अदालत ने चुनौतियों को खारिज कर दिया था। पिछले वर्ष 1 अगस्त को उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और अन्य कानूनों के आधार पर ईदगाह पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए जन्मभूमि पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। अब जब सुनवाई आगे बढ़ गई है, तब ऐसी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुस्लिम कब्जे से मुक्त हो और वहां मन्दिर के निर्माण का स्वप्न आकार ले।

हिंदू याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक और रूपांकन अभी भी दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि केवल अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने से स्वामित्व स्थापित नहीं होता है और उन्होंने अयोध्या विवाद के साथ समानताएं बताईं। अब जब नामकरण या नाम परिवर्तन की कोशिशों पर अदालत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तब जन्मभूमि पक्ष को छोटे-छोटे फैसले कराने की कोशिश करने के बजाय बड़े फैसले तक पहुंचने की तैयारी एवं जल्दी दिखानी चाहिए, यह विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए, उतना अच्छा है। श्रीराम मन्दिर-अयोध्या की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर वहां भव्य मन्दिर निर्माण की ओर सारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। देर भले ही लगे लेकिन अदालत का फैसला श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में आना है, क्योंकि इस विवाद में जन्मभूमि पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज या सुबूत मौजूद हैं, जिनका अदालत में परीक्षण होना है। निस्संदेह, पूरे परीक्षण और विचार के बाद ही कोई फैसला आएगा। लेकिन इस फैसले की दिशाएं मथुरा को पुराणों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के रूप में वर्णित उद्धरणों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है।

17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त करके वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार, यह मस्जिद मंदिर को ध्वस्त करने उसके अवशेषों पर ही बनाई गई थी।श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के साथ दस बिंदुओं पर बिना किसी अधिकार के समझौता किया था। 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। जब भूमि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम पर थी ही नहीं तो उसके द्वारा समझौता कैसे किया जा सकता है? 2020 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति याचिका के माध्यम से फिर से यह मुद्दा न्यायालय में आया।

याचिका में यह दावा किया गया कि 13.37 एकड़ भूमि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है और वहां मौजूद ईदगाह मस्जिद अवैध है। साथ ही, 1951 का समझौता भी अवैध, असंवैधानिक और शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई। 2023 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मथुरा की जिला अदालतों ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि की वैज्ञानिक जांच की अनुमति दी, जैसा श्रीरामजन्मभूमि मामले में हुआ था। अदालत ने 1951 के समझौते की वैधता पर सवाल उठाए हैं क्योंकि कटरा केशवदेव ट्रस्ट को जन्मभूमि का संप्रभु प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता था।

जन्मभूमि पक्ष की याचिकाओं को प्रारंभिक दौर में ही खारिज करने से इनकार किया गया और मुकदमे की सुनवाई की अनुमति दी गई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था एवं ऐतिहासिकता है कि वर्तमान ईदगाह मस्जिद के नीचे श्रीकृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मंदिर के अवशेषों की पुष्टि करते हैं। औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनवाने का स्पष्ट उल्लेख फारसी शिलालेखों व इतिहासकारों की रचनाओं में भी मिलता है। पूजा स्थल अधिनियम-1991 का कानून 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बनाए रखने की बात करता है, परंतु श्रीकृष्ण जन्मभूमि एक जीवित और सतत पूजा स्थल है, और इसमें अपवाद की आवश्यकता है जैसा अयोध्या मामले में देखा गया। यह विवाद केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक न्याय की मांग भी है।

यह मसला न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा इसलिये भी करता है कि यह अधिसंख्य जनभावनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अब केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि न्याय और आस्था के संतुलन की कसौटी बन चुका है। जैसे अयोध्या में शताब्दियों के संघर्ष के बाद न्याय की विजय हुई, वैसे ही मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी न्याय की प्रतीक्षा है। न्यायालय का नया दृष्टिकोण एक आशा की किरण बनकर उभरा है, जो भविष्य में ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

घूँघट की बगावत

13 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

बारिश का कहर: प्रकृति का विक्षोभ या विकास की विफलता?

बीते कुछ वर्षों में पहाड़ों में बारिश एवं बादल फटना अब डर, कहर और तबाही का पर्याय बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों में हर वर्ष मानसून के साथ भयावह भूस्खलन, बादल फटना, पुल बहना और सड़कें टूटना एक आम दृश्य बन गया है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता, सरकारी निर्माण की लापरवाही और अनियोजित विकास की पोल खोलने वाला यथार्थ है। निश्चय ही हाल के वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है और बारिश की तीव्रता बढ़ी है। हर वर्ष जब मानसून की पहली बारिश पहाड़ों को भिगोती है, तो स्थानीय जनजीवन एक नई उम्मीद के साथ खिल उठता है। खेतों में हरियाली, नदियों में जल, और प्रकृति की शीतलता-मानसून एक उत्सव जैसा लगता है। लेकिन हालिया मानसूनी बारिश और मौसमी विक्षोभ की जुगलबंदी से हिमाचल के कई इलाकों में तबाही का जो भयावह मंजर उभरा, उसे हमें कुदरत के सबक के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत व लापता होने के साथ ही अरबों रुपये की निजी व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। 2023 और 2024 के मानसून ने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो कहर बरपाया, वह केवल आँकड़ों में सीमित नहीं है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए, हजारों लोग बेघर हुए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कों, सुरंगों और इमारतों के निर्माण ने जिस तरह से पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की, वह अब प्रकृति के प्रतिशोध का कारण बन रही है। उत्तराखंड में ह्यऑल वेदर रोडह्व, हिमाचल में सुरंगें और जल विद्युत परियोजनाएं-इन सभी ने विकास के नाम पर जिस प्रकार अंधाधुंध खुदाई और कटान किए हैं, उससे पर्वतीय क्षेत्र अपनी स्थायित्व खोते जा रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद कई निर्माण कार्यों में भूगर्भीय सर्वेक्षण की अनदेखी की गई। नतीजा यह हुआ कि हल्की-सी भारी बारिश में ही सड़कें धंस जाती हैं, इमारतें दरकने लगती हैं, और पूरा गाँव मलबे में दब जाता है। वास्तव, पहाड़ी इलाकों में अतिवृष्टि से आपदा का जो भयावह मंजर उभर रहा है, उसके मूल में सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारक नहीं है। दरअसल, इस तबाही के मूल में हमारी नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रति बड़ी लापरवाही भी है। इस तथाकथित विकास के नाम पर हमने उन सीढ़ीनुमा रास्तों को दरकिनार कर दिया, जो पहाड़ों को मजबूती देते थे।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी तीव्रता और आवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसकी मुख्य वजहें हैं- अनियंत्रित पहाडों की कटिंग और खुदाई, बढ़ता भारी वाहन यातायात, जल निकासी की अव्यवस्था एवं वन क्षेत्र का अत्याधिक क्षरण। सरकारी निर्माण एजेंसियां अक्सर तय मानकों की अनदेखी करती हैं। निर्माण सामग्री घटिया होती है और मुनाफाखोरी के चक्कर में दीवारें और पुल बरसात में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और पर्यावरण वैज्ञानिक लगातार चेताते रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं। फिर भी, निर्माण कार्यों के लिए भू-सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और जनसुनवाई की प्रक्रियाओं को या तो टाल दिया जाता है या खानापूर्ति भर की जाती है। चार धाम यात्रा मार्ग पर बनने वाली सड़क परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रोका और सुझाव दिए कि पहाड़ों को काटने की बजाय टनल या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है।

निश्चय ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मौसम के बिगड़े तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जल-प्रलय सी आपदा का विनाश निश्चय ही भयावह है। वैज्ञानिकों को इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। इस साल की मानसूनी बारिश में मंडी जिले में बादल फटने की घटनाओं ने

बुनियादी ढांचे, घरों, सड़कों और बगीचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसने पहाड़ों में विकास के स्वरूप को लेकर फिर नये सिरे से बहस छेड़ दी है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण राजमार्ग भूस्खलन और अतिवृष्टि से बाधित रहे हैं। कांगड़ा घाटी में ऐतिहासिक रेल परिवहन को स्थगित करना पड़ा है। शिमला के पास एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भयभीत किया। जब बारिश आती है, तो केवल इमारतें और सड़कें नहीं ढहतीं, आम लोगों का जीवन भी उजड़ जाता है। लोग रातोंरात बेघर हो जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली-पानी की सुविधाएं बंद हो जाती हैं। प्रशासनिक अमला अकसर घटनास्थल पर देर से पहुँचता है और राहत कार्यों में राजनीतिक रस्साकशी आड़े आ जाती है। राहत कैंपों में भोजन, शौचालय और दवाइयों की भारी कमी रहती है। जब किसी राज्य में बड़ी आपदा आती है, तभी मीडिया और नेताओं की नजर जाती है। हेलिकॉप्टर से निरीक्षण, मुआवजे की घोषणाएं, और ह्यहम साथ हैंह्व जैसे बयान आते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होता है, पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। लंबे समय तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य अधर में लटकते हैं।

निश्चय ही मौसम के मिजाज में तल्खी नजर आ रही है लेकिन इस संकट के मूल में कहीं न कहीं अवैज्ञानिक विकास, खराब आपदा प्रबंधन और निर्माण में पारिस्थितिकीय ज्ञान की उपेक्षा भी निहित है। जिसने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। दरअसल, पानी के प्रवाह के जो प्राकृतिक रास्ते थे, हमने उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं। हमने अपेक्षाकृत नयी हिमालयी पर्वतमालाओं पर इतना भारी-भरकम विकास व निर्माण लाद दिया कि वे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं। निर्माण कार्य में स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला और प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग बढ़ाया जाए। भू-सर्वेक्षण और ईआईए को अनिवार्य किया जाए, हर निर्माण से पहले वैज्ञानिक स्तर पर जमीन की जाँच और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हो। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए और जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए। गाँवों और कस्बों के स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि निर्माण कार्य जमीनी जरूरतों और जोखिमों के अनुसार हो।

हिमालय को केवल भूगोल नहीं, अध्यात्म का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और घाटियां धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती हैं। जब इन स्थानों पर अंधाधुंध निर्माण होता है, तो केवल भू-आकृति नहीं, सांस्कृतिक चेतना भी नष्ट होती है। पर्वतीय जीवन में तबाही के पीछे केवल प्रकृति नहीं, हमारी नीति, नियत और विकास का वह मॉडल जिम्मेदार है जो केवल तात्कालिक लाभ और मुनाफे पर केंद्रित है। हम पहाड़ों को केवल पर्यटक स्थल या परियोजना-स्थल की दृष्टि से न देखें, बल्कि वहां के पर्यावरण, संस्कृति और जीवन पद्धति को समझें और संरक्षण का दायित्व लें। नहीं तो हर बारिश के साथ पहाड़ों से जीवन खिसकता जाएगा और एक दिन यह संकट केवल स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय बन जाएगा। दरअसल, पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए नये सिरे से निर्माण के मानक तय करने होंगे। वहीं दैनिक जल निकासी और बरसाती पानी के प्रवाह के लिये वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करनी होगी। निश्चित रूप से पहाड़ों में लगातार बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे में पहाड़ की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने की कीमत हम चुका रहे हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के लिये अतीत के सबक सीखकर हमें विकास के नये मानक तय करने होंगे। ऐसा लगता है कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं कि यदि बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसा हादसा मंडी अथवा शिमला में हुआ, वैसे हादसें होते ही रहेंगे और उनका दोष प्रकृति पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाएगी। बात केवल हिमाचल की ही नहीं है, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से तीर्थयात्री संकट में पड़े हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि हम बार-बार विकसित भारत की बात करें, लेकिन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी करें और मानक होते हुए भी उनका पालन न करें। इस तरह से तो हम विकसित देश नहीं बन सकते।

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर, स्वदेशी तकनीक से समृद्ध, सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय सेना को भविष्य की रक्षा चुनौतियों लिए इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि भूमि से लेकर वायु और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाईयों तक अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। आज अति आधुनिक ड्रोन से लेकर अविश्वसनीय मारक क्षमता वाली मिसाइलों तक का निर्माण भारत में किया जा रहा है। विगत दिनों ईरान-इजराइल के मध्य संघर्ष के बीच ईरान के शक्तिशाली व मजबूत परमाणु संयंत्रो को नष्ट करने की क्षमता न होने के कारण इजराइल को भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ा था। ऐसी ही परिस्थतियों से बचने के लिए भारत अब बंकर ब्लस्टर बम बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करक वापस चली आएगी।

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं संगठन अग्नि 5 मिसाइल के दो नये एडवांस प्रारूप विकसित कर रहा है जिसमें प्रथम प्रारूप बंकर ब्लस्टर वॉरहेड या विस्फोटक ले जाने वाला होगा जो जमीन के भीतर 80 से 100 मीटर तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करेगा जबकि दूसरा प्रारूप विस्फोटक ले जाने वाला होगा। ये दोनों ही प्रारूप दुश्मन के डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कमांड

एंड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो को ध्वस्त करके वापस लौट आएंगे। अग्नि -5 बंकर ब्लस्टर मिसाइल जमीन, सड़क और मोबाइल लांचर से दागी जाएगी। अग्नि-5 भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज 5 से 7 हजार किमी तक हैं ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। भारत का बंकर ब्लस्टर बम अमेरिकी बम से भी अधिक क्षमतावान बनाया जा रहा है।भारत की बंकर ब्लस्टर मिसाइल अमेरिकी बम से अधिक गहराई तक निशाना लगा सकती है। भारत को चीन और पाकिस्तान से पैदा हुए खतरे को देखते हुए ही इस प्रकार की मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय नौसेना को मिला तमाल- इसी प्रकार ब्रहमोस मिसाइलों से लैस अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है जिसके कारण अब समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ गई है। इस बहुददेशीय अतिआधुनिक युद्धपोत का जलावतरण रूस के केलिनिनग्राद में हुआ। नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल यह युद्धपोत हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तान से लगती सीमा पर निगरानी में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जायेगा। तमाल युद्धपोत विगत दो दशकों में रूस से प्राप्त क्रियाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला में आठवां युद्धपोत है। यह पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में अधिक उन्नत है। इसमें लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उन्नत 100 मिलीमी की तोप, मानक 30 मिलीमीटर गन क्लोज -इन हथियार प्रणाली के अलावा आधुनिक समय की प्रणाली अत्यधिक भार वाले टारपीडो तत्काल हमला करने वाले पनडुब्बी रोधी, रॉकेट और अनेक निगरानी एवं अग्नि नियंत्रण रडार तथा अन्य प्रणालियां शामिल हैं।

युद्धपोत का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है। इसकी मारक क्षमता भी उसी तरह तेज, आक्रामक और निर्णायक है। इसका शुभंकर भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर भालू जाम्बवंत और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू की समानता से प्रेरित है। तमाल युद्धपोत का निर्माण रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में हुआ है और इसमें 26 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में बना है अब ऐसा कोई भी युद्धपोत भारत में ही बनेगा जिसके बाद भारत की नौसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत के कुशल संचालन व रखरखाव के लिए 250 नौसेना कर्मियों ने रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बहु मिशन युद्धपोत भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है।

भारत की नोसेना को एक और स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरि का उपहार भी मिला है। इस युद्धपोत में सुपरसोनिक सतह से सतह से मार करने वाली प्रणाली लगी है। इसमें 76 मिमी गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी की रैपिड फायर गन सहित डीजल इंजन और गैस टर्बाइन युक्त सीओडीजी प्रणाली है। इस 3900 टन वजनी और 125 मीटर लंबे युद्धपोत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। यह देनों ही युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं।

नयन स्वयं का दर्पण बनें

अब नहीं चाहती मैं
तारों से सजी प्रशंसा,
न लहरों की वंदना,
न बाहरी स्वर का मधुर झूठ।
मुझे तो चाहिए –
वो मौन स्वर
जो अंतर की गहराइयों में
मेरी ही छाया बनकर
मुझे ही समझे।
कितनी बार
दूसरों की नजरों में
खुद को पढ़ती रही मैं,
और हर बार
छूटा कुछ – अपना, कोमल, अमूर्त।
अब जब लौटकर
अपने ही नयनों में
झाँका है मैंने,
तो देखा –एक निर्जन पुलिन पर बैठी
मैं स्वयं को पुकार रही हूँ।
दुनिया की वाणी अब केवल एक गूँज है,
जिसमें अर्थ नहीं – केवल आदत है
सुनते रहने की।
अब
जो भी सत्य है, वो मेरी दृष्टि है,
जो भी सुंदर है, वो मेरा अंतर।
अब स्वयं की नजरों में
सजना है मुझे, बिना किसी बाहरी पुष्पवर्षा के –
केवल आत्मगंध से।

-प्रियंका सौरभ

सहनशीलता की चुप्पी

जब तक मन सहता रहा,
हम अपनों में गिने जाते रहे।
हर तिरस्कार को
अपनी ही चूक मान
हम क्षमा-पथ पर चलते रहे।
पर समय भी तो कभी थमता नहीं,
और आत्मा भी कहीं न कहीं थकती है।
जब हृदय की कोमलता घिसने लगे,
तो रिश्तों की परिभाषाएँ बदलने लगती हैं।
मौन को जिसने कमजोरी समझा,
वह शायद शब्दों की गरिमा नहीं जानता।
क्योंकि चुप रहना –
कभी कायरता नहीं,
बल्कि अन्तिम चेतावनी होती है।
एक दिन,
जब आत्म-सम्मान उठ खड़ा होता है,
तो फिर सम्बन्ध भी
संविधान नहीं रह जाते –
वे घटनाएँ बन जाते हैं,
जिन्हें हम केवल याद नहीं करते,
बल्कि उनसे सबक लेते हैं।
अपनों का अपमान,
सबसे बड़ा पराया बना देता है।
और तब,
एक टूटता हुआ मन
केवल मौन नहीं होता –
वह भविष्य का इतिहास रचता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी 'कालीधर लापता'

फिल्म में कुछ असंगतियां भी हैं जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, जबकि कालीधर को स्मृति हानि और मतिभ्रम के साथ गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, फिल्म के आगे बढ़ने के साथ ही यह पहलू काफी आसानी से भुला दिया जाता है।

मधुमिता द्वारा निर्देशित और अभिषेक बच्चन द्वारा निर्देशित 'कालीधर लापता' उनकी अपनी तमिल फिल्म 'केडी ए करुप्पु दुरई' का हिंदी रीमेक है। हालांकि, मुख्य कहानी बरकरार है, लेकिन हिंदी संस्करण का अपना स्वाद है। यह फिल्म एक भूले हुए आदमी और एक उत्साही बच्चे के बीच एक अप्रत्याशित बंधन के अपने दिल को छू लेने वाले चित्रण में चमकती है। हालांकि, यह जगह-जगह लड़खड़ाती है। कुछ दृश्यों में भावनात्मक गहराई की कमी है और गति हमेशा स्थिर नहीं है, लेकिन इन खामियों के बावजूद, 'कालीधर लापता' अपने ईमानदार और प्रभावशाली अभिनय की बदौलत लोगों का दिल जीत लेती है।

कहानी

कालीधर (अभिषेक बच्चन) अपने अतीत, पहचान और रिश्तों के बीच फंसा हुआ एक आदमी है। कुंभ मेले की भीड़ में अपने ही लालची परिवार द्वारा त्याग दिया गया। वह न केवल शाब्दिक अर्थों में खोया हुआ है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उद्देश्यहीन है। फिर बल्लू (दैविक बाघेला) के रूप में एक कड़वी-मीठी किस्मत का झटका आता है। एक 8 वर्षीय अनाथ, जो अपनी उम्र के बावजूद, जीवन की जटिलताओं को आसानी से समझता है। जबकि कालीधर खोए हुए पलों को खोजता है, बल्लू उसे गर्मजोशी और उपस्थिति देता है। यह फिल्म का सबसे दिल को छू लेने वाला पहलू है। एक बूढ़ा आत्मा और एक युवा लड़का, दोनों अपने अनुभवों का भार विभिन्न तरीकों से उठाते हैं।

अभिषेक बच्चन ने फिल्म में कुछ दमदार पल दिए हैं। एक सीन में जब वह एक बुरे सपने से चौंककर उठता है और बल्लू को खोने के डर से कांपता है, तो वह डर, वह खालीपन, वह घबराहट, बहुत ही मार्मिक है। एक और सीन, जहां उसका किरदार नशे में चूर होकर टूट जाता है, भावनात्मक भार वहन करता है। स्क्रिप्ट में उसे न तो पर्याप्त संवाद दिए गए हैं और न ही कोई सार्थक भावनात्मक आर्क। उसका किरदार शुरू में खोया हुआ लगता है और अंत तक ऐसा ही रहता है, जिसमें कैमरा अक्सर बहुत करीब आता है लेकिन कभी भी पर्याप्त गहराई तक नहीं जाता। बल्लू के रूप में दैविक बाघेला इस धुंधली फिल्म में धूप की किरण की तरह हैं। उनके संवाद, हंसी और आंसू सभी इतने स्वाभाविक हैं कि वे अक्सर स्क्रिप्ट से ऊपर उठ जाते हैं। बल्लू वह किरदार है जो आपको बार-बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर एक बच्चा इतने दर्द में मुस्कुरा सकता है, तो हम क्यों नहीं?

अभिषेक किरदार के प्रति समर्पित हैं, लेकिन वे इसे थोड़ी दया के साथ पेश करते हैं। वे कालीधर की कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी ज्यादातर मामलों में वे एक ठोस किरदार निभाने में कामयाब होते हैं। एक स्मार्ट, चहकते हुए लड़के के रूप में, दैविक उतना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसका अभिनय थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। इसकी तुलना में, जीशान अपने किरदार की ईमानदारी को दिखाने में लगातार बने रहते हैं, भले ही स्क्रीनप्ले में कुछ अचानक बदलाव आए हों।

फिल्म में गैरिक सरकार का शानदार कैमरा वर्क और अमित त्रिवेदी का शानदार साउंडट्रैक है। फिर भी, यह वह स्क्रिप्ट नहीं है जो उन्हें आगे बढ़ने देती है।

यह घसीटती और भटकती है, धीरे-धीरे मूल से अलग होती जाती है क्योंकि यह अपना आकार पाने के लिए संघर्ष करती है। समस्या अनुकूलन में है, एक सांस्कृतिक रूप से निहित कहानी को लेकर और उसी प्रामाणिकता के बिना इसे फिर से कल्पित करना। इसलिए, कालीधर लापता अपनी जगह बन जाती है। यह न केवल खो जाती है बल्कि अनुवाद में भूल भी जाती है। अभिषेक के लिए, यह एक और फि ल्म है जो जीवंत, सार्थक काम करने के उनके इरादे को दशार्ती है। फिर भी, वह अभी भी भटकाव में है; प्रयास में गंभीर, परंतु सामग्री में गलत।

हालांकि, फिल्म में कुछ खामियां भी हैं। जीशान अय्यूब की प्रतिभा बेकार लगती है, और ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप अपने टिश्यू लेकर तैयार होते हैं, लेकिन वह क्षण आपके दिल को छूए बिना ही गुजर जाता है। इसका एक मुख्य उदाहरण रेलवे स्टेशन पर केडी और बल्लू के बीच एक दिल को छू लेने वाले दृश्य का चूक जाना है। इससे फिल्म में और भावनात्मक वजन जोड़ा जा सकता था। यह एक ऐसा क्षण है जिसका आप इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं आता।

फिल्म में कुछ असंगतियां भी हैं जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, जबकि कालीधर को स्मृति हानि और मतिभ्रम के साथ गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, फिल्म के आगे बढ़ने के साथ ही यह पहलू काफी आसानी से भुला दिया जाता है। वह अचानक ठीक हो जाता है और अपने और बल्लू के लिए आजीविका कमाना भी शुरू कर देता है, बिना उसके ठीक होने के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण दिए।

फिर भी, 'कालीधर लापता' हमें याद दिलाता है कि जीवन हमें मुश्किल समय में भी खुशियों से सरप्राइज कर सकता है। और दिखाता है कि कैसे दोस्ती उम्र की बाधाओं को पार कर सकती है, हमारे दुखते दिलों को भर सकती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com